उत्तर प्रदेश शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग-6

संख्या- 28/2022/1659 **/77-6-2022-5 (एम)/17टी0सी0-3(1)**

लखनऊ : दिनांक 30 **जून, 2022**

कार्यालय ज्ञाप

अधिसूचना संख्या -28/2018/1489/अठ्ठासी-18-07औ0/18,दिनांक08.06.2018 द्वारा उत्तर प्रदेश फार्मास्युटिकल उद्योग नीति-2018 प्रख्यापित की गई है। इसके क्रम में अधिसूचना संख्या-1764/77-6-20-5(एम)/2017 टीसी-3, दिनांक 13.07.2020 द्वारा इस नीति में प्रथम संशोधन तथा अधिसूचना संख्या-49/2021/2138/अठ्ठासी-21-07औ0/18, दिनांक 15.11.2021 द्वारा इस नीति में द्वितीय संशोधन जारी किया गया है।

2- उक्त नीति को उद्यमियों एवं निवेशकर्ताओं को सर्वसुलभ कराए जाने के दृष्टिगत इसे प्रदेश सरकार की ऑनलाइन शासनादेश Shasanadesh.up.gov.in वेबसाइट पर अपलोड किए जाने हेतु नीति की प्रति संलग्न है।

संलग्नक यथोक्त।

(रजनी कान्त पाण्डेय)
अनु सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0।

2- मुख्य कार्यपालक अधिकारी यीडा।

3- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग।

(रजनी कान्त पाण्डेय)
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अनुभाग

संख्या- 28/2018/1489/अट्ठासी-18-07औ0/18

लखनऊ : दिनांक 08 जून, 2018

अधिसूचना

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 162 के अन्तर्गत कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल द्वारा 'उत्तर प्रदेश फार्मास्युटिकल उद्योग नीति, 2018 को प्रख्यापित किया जाता है।

2- 'उत्तर प्रदेश फार्मास्युटिकल उद्योग नीति, 2018' इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से 05 वर्ष तक प्रभावी रहेगी।

हिमांशु कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-28/2018/1489(1)/अट्ठासी-18, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।

3- स्थानिक आयुक्त, उ0प्र0, नई दिल्ली।

4- आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0 लखनऊ।

5- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

6- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

7- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत विज्ञप्ति का प्रकाशन असाधारण गजट के हिन्दी तथा अंग्रेजी अंक के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड-क में दिनांक 08.06.2018 की तिथि में करने तथा इसकी मुद्रित 200 प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें

8- गार्ड बुक।

आज्ञा से

(हिमांशु कुमार)
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश फार्मास्युटिकल उद्योग नीति–2018

1. परिचय

उच्च जनसांख्यिकीय लाभ से युक्त भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में देखा जा रहा है। यह पिछले 3 वर्षों (2014–15 से 2016–17 तक) के लिए औसत सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) विकास दर 7 प्रतिशत के साथ भारत ने दुनिया में अग्रणी बना रखा है। विनिर्माण क्षेत्र इस आर्थिक प्रगति के रूप में स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है। प्रमुख आधार पर जो भारत को वैश्विक मान्यता का विनिर्माण केन्द्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है।

भारत में फार्मास्युटिकल उद्योग सुदृढ़ एवं उन्नतशील उद्योग हैं एवं मूल्य के मामले में भारतीय फार्मास्युटिकल्स क्षेत्र एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है जिसका मूल्य की दृष्टि से वैश्विक दवा उद्योग के लगभग 3 प्रतिशत और परिक्षेत्र के सन्दर्भ में 10 प्रतिशत का अंश है। वर्ष 2015–16 में उद्योग का वार्षिक कारोबार 2,04,627.15 करोड़ रूपये था। वित्तीय वर्ष 2015–16 में 29 प्रतिशत की वृद्धि के साथ इस उद्योग ने प्रगति की है।

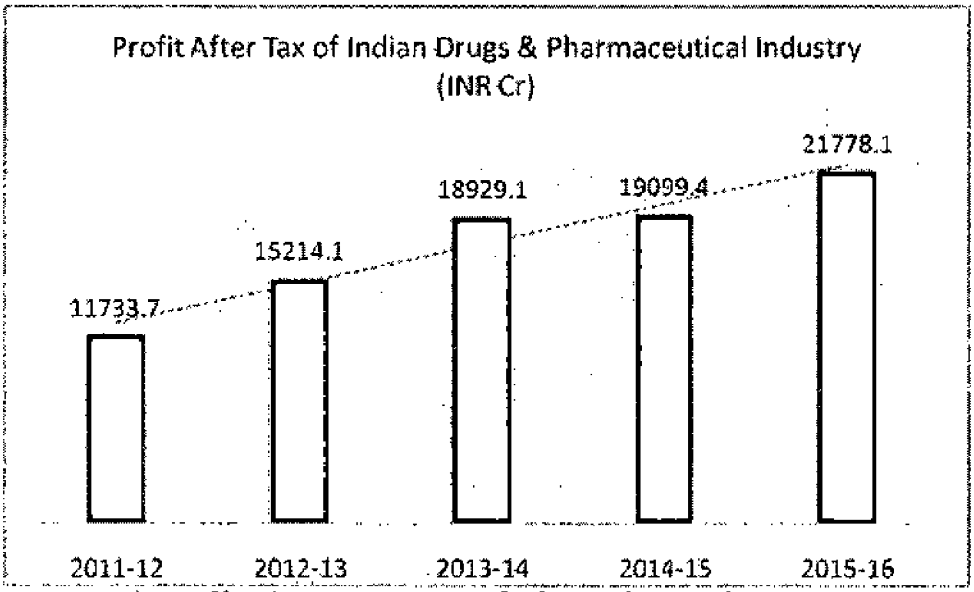

स्रोतः–वार्षिक योजना (2016–17, फार्मास्युटिकल्स विभाग, उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय

वर्ष 2020 तक भारत विश्व स्तर पर छठवीं सबसे बड़ा बाजार होने की संभावना है। भारतीय फार्मास्युटिकल सेक्टर काफी हद तक निर्यात से बढ़ रहा है तथा भारत का तीसरा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा अर्जक है। 2015–16 में, भारत में ड्रग्स, फार्मास्युटिकल्स और फाइन केमिकल्स का निर्यात 1,09,770 करोड़ रूपये का था। भारत विश्व में 220 से अधिक देशों की दवाओं का निर्यात करता है।

Pharmaceutical Exports from India Category wise (INR Cr)		
Category	FY-15	FY-16
Ayush	769.99	706.94
Bulk Drugs & Drug Intermediates	23,169	23,302.8
Drug Formulations &Biologicals	72,892.04	82,192
Herbal Products	1,536.65	1,618
Surgicals	1,946.15	1,950
Total	1,00,313.83	1,09,769.74
Source : India Bulk Manufacturing Association of India		

जेनेरिक बाजार में, भारत वैश्विक जेनेरिक के 20 प्रतिशत निर्यात के साथ विश्व में जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा प्रदाता है। वर्ष 2020 तक भारतीय चिकित्सा उपकरण का बाजार 53,300 करोड़ रूपये होने का अनुमान है। भारत विश्व के शीर्ष 20 चिकित्सा उपकरण बाजारों में से भारत एक है और एशिया में चौथा सबसे बड़ा चिकित्सा उपकरण बाजार है।

ग्रीनफील्ड फार्मास्युटकल्स परियोजनाओं के लिए स्वचालित (ऑटोमेटिक) रूट के माध्यम से 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा ब्राउनफील्ड फार्मा प्रोजेक्ट्स के लिए स्वतः रूट के माध्यम से 74 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति के पश्चात् फार्मास्युटिकल उद्योग निवेश के लिए सबसे आकर्षक क्षेत्र बन गया है और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा में बढ़त प्राप्त कर रहा है। इस क्षेत्र में अप्रैल 2000 में जून 2017 के मध्य 77.631 करोड़ रूपये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आकर्षित किया है, जो भारत में आने वाले कुल एफडीआई का 4 प्रतिशत था।

प्रमुख विदेशी निवेशकों में जॉनसन एण्ड जॉनसन, पी एण्ड जी, निप्रो और औत्सुका सम्मिलित है।

देश में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता और सुलभ श्रम की उपलब्धता के कारण भारत दुनिया में दवाओं और फार्मास्युटिकल्स का लागत की दृष्टि से सबसे अधिक प्रभावी निर्माता है। देश में विभिन्न प्रकार के दवा उत्पादों का उत्पादन होता है तथा स्वास्थ्य सेवा बाजार यहां तेजी से विस्तार कर रहा है।

भारत सरकार के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति (आईईईपी) 2017 घोषित की है, जिससे राज्य में औद्योगीकरण में गतिशील प्रगति तथा निवेश को बढ़ावा मिलने की आशा है। राज्य सरकार प्रदेश में एवं फार्मास्युटिकल सेक्टर को सुदृढ़ रूप से स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि इस क्षेत्र में राज्य की अधिकतम क्षमता के दोहन लिए एक आशाजनक पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जा सके और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा किए जा सके।

2. उत्तर प्रदेश के लाभ (एडवांटेज उत्तर प्रदेश)

उत्तर प्रदेश भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 20 करोड़ से अधिक जनसंख्या के साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है। सभी भारतीय राज्यों में उच्चतम जनसंख्या के साथ, उत्तर प्रदेश में फार्मास्युटिकल्स का सबसे बड़ा बाजार बनने की क्षमता है। मध्यम वर्ग की जनसंख्या में वृद्धि के साथ अधिकतर लोग आपकी गुणवत्ता की स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, जिससे फार्मास्युटिकल सेक्टंर के लिए वृहद स्तर पर मांग पैदा होती है। राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), स्वास्थ्य इकाइयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) तथा उपकेन्द्रों वाली एक 3–स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश में 262 प्रधान मंत्री भारतीय परियोजना (पीएमबीजेपी) केंद्र हैं, जो सभी राज्यों में सबसे अधिक है।

उत्तर प्रदेश भारत के शीर्ष पांच विनिर्माण (मैन्यूफैक्चरिंग) राज्यों में से एक है तथा राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम देश की उद्यमों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। राज्य से निर्यात पिछले पांच सालों (2012–17) में 13.26 प्रतिशत सीएजीआर) दर्ज वार्षिक वृद्धि पर की गयी है। कच्चे माल तथा कुशल, अकुशल श्रमिकों की सुलभता के फलस्वरूप प्रदेश का वातावरण उत्पादन हेतु अनुकूल है, जिससे फार्मास्युटिकल क्षेत्र का निर्वाध विकास सम्भव है।

2.1 पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम करना

2.1.1 कच्चे माल का आधार तथा औद्योगिक विकास

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की दृष्टि से उ.प्र. देश में दूसरे स्थान पर है तथा राज्य में पारस्परिक एवं औषधीय कच्चे माल का यथेष्ट आधार है। राज्य में करीब 450 फार्मास्युटिकल इकाइयां हैं, जिनमें से अधिकतर फार्म्युलेशन में संलग्न हैं तथा ज्यादातर इकाइयां राज्य के पश्चिमी क्षेत्र गाजियाबाद, जीबीनगर और लखनऊ, कानपुर में स्थित हैं।

उत्तर प्रदेश से फार्मास्युटिकल उत्पादों का निर्यात (रू0 करोड़ में)	
2015-16	363.42
2016-17	519.23
स्रोत : निर्यात संवर्धन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार	

उत्तर प्रदेश से औषधि उत्पादों का निर्यात

वर्ष 2014–15 में लगभग 90,000 करोड़ रूपये के कारोबार के साथ परिमाण की दृष्टि से उ.प्र. का राष्ट्रीय बिक्री बाजार का लगभम 17 प्रतिशत अंश है। उ.प्र. में लगभग 76000 फार्मासिस्ट और 71,000 खुदरा फार्मेसी हैं। राज्य में औद्योगिक दृश्य उत्साहजनक है तथा सेक्टर में काफी वृद्धि की संभावना को दर्शाता है।

2.1.2 श्रम तथा सुदृढ़ अनुसंधान एवं विकास आधार की उपलब्धता

राज्य में कुशल और अकुशल जनशक्ति का भंडार है तथा यहां प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थान और औषधि विभाग है। उत्तर प्रदेश के अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय में एम फार्मा डिग्री (स्नातकोत्तर डिग्री) प्रदान करने वाले 64 महाविद्यालय और बी. फार्मा की (स्नातक) डिग्री प्रदान करने वाले 100 महाविद्यालय हैं। उत्तर प्रदेश में कई प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थान स्थापित हैं, जैसे :–

- सी.एस.आई.आर.–केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, लखनऊ
- राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान रायबरेली
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च (आई.आई.टी.आर.) लखनऊ
- केंद्रीय औषधीय और सुगंधित पौधे संस्थान लखनऊ
- इण्डियन फार्माकोपिया आयोग, गाजियाबाद
- राष्ट्रीय जैविक संस्थान, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर

- जैविक विज्ञान और जैव अभियांत्रिकी विभाग आईआईटी, कानपुर
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग एमएनएमआईटी, इलाहाबाद
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान–बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (आई.आई.टी. बीएचयू)

2.1.3 उच्च कोटि की अवस्थापना सुविधाएं (कनेक्टिविटी एडवांटेज)

जैसा कि अवगत है कि भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग निर्यातोन्मुखी हैं, उत्तर प्रदेश में निर्यात के लिए उपयुक्त बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

स्थान का लाभ (लोकेशन एडवांटेज)

- स्वर्ण चतुर्भुज पर स्थित
- उच्च कोटि का सड़क नेटवर्क
- राष्ट्रीय राजधानी तक आसान पहुँच
- पूर्वी भारत के बाजार एवं संसाधनों तक गहरी पहुँच
- 8949 कि0मी0 तक फैला वृहत् रेल नेटवर्क

कनेक्टिविटी

- देश के अन्य भाग, मध्य पूर्व एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाले प्रमुख हवाई अड्डे
- जेवर एवं कुशीनगर में प्रस्तावित दो अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे
- इलाहाबाद से हल्दिया पोर्ट को जोड़ने के लिए प्रस्तावित एन0डब्ल्यू0–1

इण्डस्ट्रीयल कॉरीडोर

- 8.5 प्रतिशत डी0एम0आई0सी0 जलग्रहण क्षेत्र एवं 57 प्रतिशत ए0के0आई0सी0 उत्तर प्रदेश में स्थित
- ग्रेटर नोएडा में डब्ल्यू0डी0एफ0सी0 एवं ई0डी0एफ0सी0
- मल्टीमोडल लाजिस्टिक हब्स, औद्योगिक पार्क से पोर्ट तक पहुँचने के लिए यात्रा अवधि में कमी

लॉजिस्टिक्स अवस्थापना सुविधाए

- विद्यमान लॉजिस्टिक्स अवस्थापना सुविधाएं – मुरादाबाद रेलवे से जुड़ा हुआ घरेलू एवं एग्जिम टर्मिनल एवं कानपुर में रेलवे से जुड़ा हुआ निजी फ्रेट टर्मिनल एवं अन्तर्देशीय कन्टेनर डिपो/दादरी टर्मिनल आई.सी.डी./कानपुर आई.सी.डी.

- नोएडा, बोड़ाकी एवं वाराणसी में तीन मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक्स / ट्रांसपोर्ट हब प्रस्तावित

2.2 उत्तर प्रदेश में अवसर–

- जेनेरिक दवाओं के साथ–साथ बल्क ड्रग एवं फार्म्यूलेशन का विनिर्माण
- अनुसंधान एवं विकास
    - औषधि विश्लेषण तकनीक
    - अनुबंध अनुसंधान एवं विनिर्माण सेवाएं (सी.आर.ए.एम.एस.)
    - बायोलॉजिक्स एण्ड बायोसिमिलर
    - आयुष एवं फाइटोमेडिसिन्स
- **वितरण–** 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी की जनसंख्या घनत्व के साथ उत्तर प्रदेश चौथा सबसे बड़ा राज्य है। सभी प्रकार की दवाओं के वितरण के लिए एक वितरण तंत्र के विकास के लिए विशाल सम्भावनाएं।
- **चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण**– नये अस्पतालों एवं नर्सिंग होम की स्थापना तथा वर्तमान सुविधाओं के पुनरूद्धार हेतु आवश्यक चिकित्सा उपकरणों के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश में सम्भावनाएं।

नीति के विषय में

राज्य, निवेश के अनुकूल सुधारवादी नीति दृष्टिकोण के साथ एक शीर्ष औद्योगिक गंतव्य के रूप में उभर रहा है। यह नीति राज्य के औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 की दृष्टि और उद्देश्यों को आगे ले जाती है और उत्तर प्रदेश में प्रतिस्पर्धी फार्मास्युटिकल उद्योग के लिये पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिये आकर्षक प्रोत्साहन प्रदान करती है।

नीति का उद्देश्य फार्मास्युटिकल क्षेत्र में अनुसंधान, विकास और व्यवसायीकरण की दक्षताओं का निर्माण करता है, साथ ही गुणवत्तायुक्त एवं सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिये प्रमुख संस्थानों के ज्ञान एवं कुशल जनशक्ति का उपयोग करके सतत् रूप से क्षेत्र की वास्तविक क्षमता का लाभ उठाना है।

3.1 उद्देश्य

- सर्वोत्तम अवस्थापना सुविधाओं एवं तकनीक से युक्त विशिष्ट फार्मास्युटिकल पार्को की स्थापना को प्रोत्साहित करना।

- अत्याधुनिक औषधि अनुसंधान को प्रोत्साहित करने हेतु विश्वस्तरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा राज्य के विकास में योगदान करने के लिये विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को आकर्षित करना।
- फार्मास्युटिकल क्षेत्र में बौद्धिक संपदा (आईपी) को बढ़ावा देने के लिये अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को प्रोत्साहित करना तथा फार्मास्युटिकल क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास हेतु अधिक धनराशि का योगदान देना।
- अनुसंधान एवं विकास तथा आयुष स्वास्थ्य सेवा (हेल्थकेयर) उत्पादों के प्रोत्साहन के माध्यम से आयुष स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना।

3.2 नीति की अवधि

- यह नीति इसकी अधिसूचना की तिथि से प्रभावी हो जाएगी और पॉच वर्ष की अवधि के लिये लागू रहेगी।
- किसी भी समय यदि ऐसी कोई भी स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे नीति में किसी प्रकार से संशोधन या नीति के अधिक्रमण की आवश्यकता होती है, तो ऐसे संशोधन या अधिक्रमण को अनुमोदित करने के लिये केवल मा. मंत्रि–परिषद ही अधिकृत होगा।
- यदि इस नीति में कोई भी संशोधन किया जाता है अथवा इकाई को पूर्व स्वीकृत प्रोत्साहनों का कोई भी संशोधन किया जाता है तो भी राज्य सरकार द्वारा इकाई को पूर्व स्वीकृत प्रोत्साहनों का कोई पैकेज वापस नहीं लिया जायेगा और ऐसी इकाई पूर्व स्वीकृत लाभ की हकदार बनी रहेगी।

3.3 परिभाषाएं

1. एमएसएमई इकाईयां – भारत सरकार के एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनुमोदित पूंजीगत निवेश वाली परियोजनाएं।
2. वृहद् ईकाईयां – एमएसएमई ईकाईयों से अधिक किन्तु रू. 100 करोड़ से कम पूंजी निवेश वाली परियोजनाएं।
3. मेगा इकाईयां – रू. 100 करोड़ या उससे अधिक पूंजी निवेश की परियोजनाएं।
4. क्षैतिज फार्मा पार्क – न्यूनतम 10 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित निजी पार्क, जिसमें न्यूनतम 05 इकाईयां हो तथा 60 प्रतिशत इकाईयॉ व्यवसायियों को आंविटत कर दिया गया हो।

5. ऊर्ध्वाधर फार्मा पार्क – न्यूनतम 3 एकड़ भूमि पर टॉवर या टावरों के समूह की तरह विकसित निजी पार्क जिसमें न्यूनतम 3 इकाईयॉ हो तथा 60 प्रतिशत इकाईयॉ व्यवसायियों को आंविटत कर दिया गया हो।

4. नीति की रूपरेखा (पालिसी फ्रेमवर्क)

4.1 अवस्थापना सुविधाओं का विकास

4.1.1 फार्मा पार्क विकास – उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में फार्मा उद्योग की स्थापना तथा विकास के लिये उच्च गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे एवं अनुकूल सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करेंगी। नीति के अन्तर्गत एलोपैथी, आयुष और होम्योपैथी उत्पादों के निर्माण के लिये और चिकित्सा यंत्रों व उपकरणों के लिये भूमि खण्डो को चिन्हित कर पार्को को विकसित किया जायेगा।

ये पार्क उपयोग के लिये तैयार बुनियादी सुविधाएं जैसे– सार्वजनिक/सहाधिकार (Common) परीक्षण प्रयोगशालाएं नैदानिक केन्द्रों, विद्युत उपकेन्द्र, शीत भंडारण सार्वजनिक सुविधा केन्द्रों, उत्प्रवाह अपशिष्ट उपचार संयंत्र, वाक टू वर्क की अवधारणा पर विकसित की गयी अन्य बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित किये जायेंगे। राज्य सरकार डेवलेपर्स को गुणवत्ता परीक्षण सुविधाएं यथा एपीआई फॉर्म्युलेशन प्रयोगशाला बनाने के लिये प्रोत्साहित करेगी जो कि गुणवत्ता परीक्षण के लिये आवश्यक है और भारत की गुणवत्ता परिषद के मानदंडों को प्रोत्साहित करेगा। राज्य में (क्वॉलिटी कौंसिल ऑफ इण्डिया) द्वारा विधिवत प्रमाणित प्रयोगशालाओं को बढ़ावा दिया जायेगा।

4.1.2 मेगा परियोजनाओं एवं लघु, मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन (एसएमई)– सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में वैश्विक मानकों के अनुसार प्रतिस्पर्धा योग्य बड़े विनिर्माण केन्द्र विकसित करने पर बल दिया जायेगा। मेगा परियोजनाएं डाउनस्ट्रीम और एसएमई इकाईयों के लिये सहायक होती हैं तथा रोजगार के व्यापक अवसर पैदा करती हैं, इसलिये नीति, विशेष प्रोत्साहनों और रियायतों के माध्यम से मेगा परियोजनाओं को तो आकर्षित करेगी ही साथ ही एसएमई को भी प्रोत्साहित करेगी। नीति में एसएमई इकाईयों के लिये प्रोत्साहनों और रियायतों के विशेष पैकेज हैं।

4.1.3 सहायक अवस्थापना सुविधाएं

ए– एपीआई/फॉर्म्यूलेशन प्रयोगशाला – एपीआई एवं फार्म्यूलेशन का गुणवत्ता आश्वासन फार्मास्युटिकल उद्योग के मेरूदण्ड हैं। ऐसी प्रयोगशालाएं लॉजिस्टिक्स एवं आधारभूत सुविधा के सन्दर्भ में चुनौतियों का समाधान करती हैं। सरकार क्वालिटी काउन्सिल ऑफ इण्डिया

तथा अन्य हितधारकों के परामर्श से कॉमन टेस्टिंग लैबोरेटरीज की स्थापना को प्रोत्साहित करेगी। इस प्रकार की सुविधा से अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा मिलेगा।

बी– शीतगृह सुविधाएं– राज्य सरकार तापमान के प्रति संवेदनशील औषधियों के परिवहन के लिए तापमान नियंत्रित वेयरहाउस के निर्माण को प्रोत्साहित करेगी। इस नीति के अंतर्गत कॉमन कोल्ड स्टोरेज के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाएगा।

4.2 आयुष (Ayush) और फाइटोमेडीसिन को प्रोत्साहन– स्वदेशी औषधियों को बढ़ावा देने के लिये आयुष के स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों का विनिर्माण करने वाली इकाइयों को भूमि आवंटन में वरीयता दी जाएगी। पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण हेतु विशेष विपणन प्रोत्साहनों एवं आयुष स्वास्थ्य सेवा उत्पादों के निर्माण करने वाली इकाईयों को पेटेंट दाखिल करने और प्रमाणन के लिये इकाईयों को सुविधा प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार राज्य सरकार वैकल्पिक औषधियों को प्रोत्साहित करने के लिये फाइटोमेडिसिन को बढ़ावा देगी तथा इन उत्पादों के लिये बाजार को विकसित करने हेतु शोध एवं उत्पादन इकाईयों को प्रोत्साहन प्रदान करेगी।

4.3 अनुसंधान एवं विकास

4.3.1 फार्मास्युटिकल सेक्टर की प्रगति अनुसंधान एवं विकास पर निर्भर करती है। उदयीमान वैश्विक रूझानों के अनुसार प्रगति करने के लिये फार्मा सेक्टर के निरंतर विकास हेतु नवाचार होना चाहिये। इस क्षेत्र में विश्व के अनेक प्रतिष्ठित अनुसंधान केन्द्र तथा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थाएं उत्तर प्रदेश में हैं, जो इस क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करते हैं तथा जैव प्रौद्योगिकी व फार्मा क्षेत्र में नवाचार की क्षमता रखते हैं।

राज्य सरकार का लक्ष्य है कि अनुसंधान एवं विकास तथा जैव प्रौद्योगिकी व फार्मा सेक्टर में लागत क्षमता बढ़ाने के लिये उत्तर प्रदेश के विद्यमान शिक्षा संस्थानों और फार्मा कम्पनियों के माध्यम से अनुसंधान के प्रस्तावों के लिये वित्तीय सहायता प्रदान की जाये। नीति का उद्देश्य इस संदर्भ में एक मजबूत उद्योग अंतरफलक (Interface) का सृजन करना है। अनुसंधान परियोजनाओं उद्योग और संस्थानों के साथ मिलकर किये गये नैदानिक परीक्षण परियोजनाओं को संरक्षण प्रदान किया जायेगा। साथ ही यह नीति पेटेंट प्राप्त करने और बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करने में भी सहायता करेगी।

4.4 नवाचार एवं स्टार्ट–अप को प्रोत्साहन– राज्य सरकार नवाचारों को फार्मास्युटिकल सेक्टर में नए उद्यमों के माध्यम से प्रोत्साहित करेगी। फार्मास्युटिकल सेक्टर में स्टार्ट–अप को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की स्टार्टअप पॉलिसी 2017 के अन्तर्गत स्थापित स्टार्ट–अप फंड का उपयोग किया जायेगा। शैक्षिक संस्थानों मेडिकल कॉलेजों एवं

विश्वविद्यालयों में इन्क्यूबेटरों की स्थापना की जाएगी। इस नीति के अन्तर्गत फार्मा सेक्टर में अपने व्यवसाय मॉडल को बढ़ाने के लिए की सहायता हेतु प्राविधान किया गया है।

4.5 पारिस्थितिकी तंत्र समर्थन

4.5.1 अनुकूल कारोबारी पर्यावरण – इस क्षेत्र में उद्यमियों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार गम्भीरता से प्रयास करेंगी। यह नीति न केवल फार्मा सेक्टर में व्यवसाय स्थापना हेतु प्रोत्साहित करेगी, अपितु राज्य की औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के अन्तर्गत उल्लिखित निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक अनुकूल कारोबारी माहौल भी सुनिश्चित करेगी।

4.5.2 सरलीकृत प्रकियाएं– फार्मास्युटिकल क्षेत्र ज्ञान–आधारित है, अतएव राज्य में इस उद्योग के विकास हेतु प्रकियाओं को और सुचारू बनाने के लिए, नीति फार्मास्युटिकल उद्योग के लिए सिंगल विंडो के माध्यम से स्वीकृति सुनिश्चित करेगी। नीति उच्च गुणवत्ता मानकों एवं आधुनिक परीक्षण सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करती है।

4.5.3 परिस्थितिकी के अनुकूल दृष्टिकोण–चूंकि फार्मा उद्योग अपशिष्ट एवं उत्प्रवाह का उत्पादन करता है, इसलिए इस नीति का उद्देश्य फार्मा सेक्टर को उत्तर प्रदेश में परिस्थितिकी के अनुकूल दृष्टिकोण के साथ बढ़ावा देता है। फार्मा उद्योग में अपशिष्ट उपचार एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान किये जायेंगे।

5– निजी फार्मास्युटिकल पार्क–उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में पारिस्थितिक तंत्र वाले क्षेत्रों में फार्मास्युटिकल पार्क स्थापित करने हेतु प्रयत्नशील रहेगी। फार्मा पार्क की स्थापना के लिए इस नीति के अन्तर्गत गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, आगरा, कानपुर, लखनऊ, झाँसी, गोरखपुर, वाराणसी एवं इलाहाबाद जनपदों को विशेष रूप चिन्हित किया जायेगा। इन पार्कों में **प्लग–एंड–प्ले** औद्योगिक बुनियादी ढांचा प्रदान करने की सुविधा होगी, जिससे कंपनियां अपने मुख्य व्यवसाय पर ध्यान केन्द्रित कर सकेंगी अतः इन पार्कों में निम्नलिखित क्षेत्र सम्मिलित होंगे :–

- विनिर्माण क्षेत्र
- परीक्षण क्षेत्र
- शीत गृह एवं भण्डारण (वेयर हाउसिंग)
- सार्वजनिक सुविधा केन्द्र, छात्रावास हेतु क्षेत्र
- अन्य सुविधाएं, जैसे–स्टैंडअलोन, विद्युत उप केन्द्र, सीवेज उपचार संयत्र इत्यादि

परिभाषित क्षैतिज फार्मा पार्क एवं वर्टिकल फार्मा पार्क के विकासकर्ता राज्य की औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 (UPIIEPP-2017) के अंतर्गत प्राविधानित प्रोत्साहनों के लिए पात्र होंगे –

5.1 जमीन खरीदने के लिये लिये गये ऋण पर वार्षिक ब्याज का 50 प्रतिशत तक ब्याज की प्रतिपूर्ति के रूप में अधिकतम रू0 50 लाख प्रति वर्ष प्रति फार्मा पार्क की सीमा के अधीन 7 साल के लिये ब्याज सब्सिडी।

5.2 फार्मा पार्क की बुनियादी ढाँचे के निर्माण जैसे स्वउपयोग वाली सड़कों, पावर फीडर, जल निकासी इत्यादि जैसे अवस्थापना सुविधा के लिये लिये गये ऋण पर वार्षिक ब्याज का 60 प्रतिशत तक ब्याज की प्रतिपूर्ति के रूप में 7 साल के लिये प्रति वर्ष रू0 10 करोड़, नीति के अवधि में प्रति फार्मा पार्क अधिकतम रू. 50 करोड़ की सीमा के अधीन।

5.3 औद्योगिक पार्को, सम्पदाओं में श्रमिकों के लिये छात्रावास, शयनगृह, आवास के निर्माण के लिये ली गई ऋण पर वार्षिक ब्याज की दर पर 60 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति के रूप में 7 साल के लिये ब्याज सब्सिडी दी जाएगी जो प्रति वर्ष 5 करोड़ रूपये के अधीन, नीति के अवधि में अधिकतम 30 करोड़ प्रति फार्मा पार्क ।

5.4 फार्मा पार्क डेवलपर द्वारा जमीन की खरीद पर स्टैम्प ड्यूटी पर 100 प्रतिशत की छूट और व्यक्तिगत खरीदारों द्वारा प्लॉट की खरीद पर प्रथम बार स्टैम्प ड्यूटी पर 50 प्रतिशत छूट।

6. फार्मास्युटिकल इकाईयों को प्रोत्साहन–

फार्मास्युटिकल सेक्टर में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये राज्य सरकार रियायतें, सब्सिडी और वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसके लिये राज्य के औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के तहत पात्र नए फार्मास्युटिकल इकाइयों को निम्नवत प्रोत्साहित किया जाएगा–

6.1 पूँजीगत ब्याज सब्सिडी–संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिये ऋण पर प्रतिपूर्ति के रूप में 5 वर्ष के लिये प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की दर से पूंजीगत ब्याज सब्सिडी, अधिकतम रू0 50 लाख प्रति यूनिट प्रतिवर्ष।

6.2 **अवस्थापना ब्याज सब्सिडी–** राज्य में फार्मा सेक्टर में यूनिट्स की स्थापना, सीवेज और पानी, जल निकासी, बिजली लाइन, ट्रांसफार्मर और बिजली फीडर का निर्माण जैसे स्व–उपयोग के लिये अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिये अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिये ब्याज की रकम का 5 प्रतिशत की दर से प्रतिपूर्ति, अधिकतम रू0 1 करोड़।

6.3 **औद्योगिक अनुसंधान सब्सिडी–** औद्योगिक अनुसंधान हेतु 5 वर्ष के लिये प्रति वर्ष 5 प्रतिशत की दर से औद्योगिक अनुसंधान सब्सिडी औद्योगिक अनुसंधान, गुणवत्ता

सुधार और उत्पादों के विकास के लिए परीक्षण प्रयोगशालाओं तथा गुणवत्ता प्रमाणन प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु मशीनरी एवं उपकरणो हेतु, लिये गये ऋण की ब्याज पर 5 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 5 प्रतिशत की दर से प्रतिपूर्ति, अधिकतम रू0 1 करोड़।

6.4 **विद्युत कर में छूट** – सभी नई इकाइयों के लिये 10 वर्ष के लिये विद्युत कर में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी। सभी नई इकाईयों को, जो स्वयं के उपभोग हेतु विद्युत उत्पादन करेंगी, विद्युत कर में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी

6.5 **स्टाम्प ड्यूटी में छूट** – सभी नई इकाईयों के लिये 100 प्रतिशत स्टैम्प ड्यूटी में छूट।

6.6 **एसजीएसटी प्रतिपूर्ति**– फार्मा सेक्टर में एमएसएमई यूनिट को 05 वर्ष के लिए 90 प्रतिशत, बड़ी इकाईयों को 05 वर्ष के लिये 60 प्रतिशत तथा मेगा इकाईयों को 10 वर्ष के लिए 70 प्रतिशत एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की वार्षिक सीमा पूँजी निवेश का 20 प्रतिशत अथवा वास्तविक जमा कर, जो भी कम हो, होगा। अधिकतम सीमा अचल पूँजी निवेश के 100 प्रतिशत के अधीन।

6.7 **मण्डी शुल्क में छूट**– उत्तर प्रदेश आईआईईपीपी, 2017 के सामान सभी नई फार्मा इकाईयों को कच्चेमाल की खरीद पर 05 वर्ष के लिए मण्डी शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट।

7. **पर्यावरण संरक्षण सब्सिडी**– चूँकि फार्मास्युटिकल उद्योग प्रदूषणकारी और रासायनिक अपशिष्ट गहन है, इसलिये फार्मा इकाइयों को पर्यावरण संरक्षण अपनाने के लिये प्रेरित करना महत्वपूर्ण है।

7.1 **सामान्य प्रयोजन ईटीपी की स्थापना** – फार्मा पार्क, क्लस्टर्स में कॉमन एफफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, शून्य प्रवाह, अपशिष्ट जल निर्वहन सुविधाओं को अपनाने हेतु डेवलपर द्वारा लिये गये ऋण पर, अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण अवस्थापना ब्याज सब्सिडी के अन्तर्गत 05 वर्ष तक वार्षिक ब्याज का 50 प्रतिशत, अधिकतम सीमा रू0 2 करोड़ की प्रतिपूर्ति दिया जायेगा।

7.2 **शून्य अपशिष्ट प्रोत्साहन**– नई व्यक्तिगत फार्मा इकाईयों द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिये आवश्यक– वाटर रीसाइक्लिंग, हार्वेस्टिंग और शून्य उत्प्रवाह तकनीक अपनाने हेतु, लिये गये ऋण के ब्याज पर पर्यावरण संरक्षण अवस्थापना ब्याज सब्सिडी के रूप में 05 वर्ष तक 50 प्रतिशत वार्षिक प्रतिपूर्ति, अधिकतम रू0 10 लाख।

पर्यावरण संरक्षण सब्सिडी के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर दी जायेगी।

8. अनुसंधान एवं विकास सहायता–

8.1 अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को प्रोत्साहन–निर्धारित क्षेत्रों के लिये बायोटेक और फार्मा सेक्टर की नई आर एंड संस्थानों की स्थापना के लिये, भूमि और भवन लागत को छोड़कर ली गयी ऋण के ब्याज पर 60 प्रतिशत तक पूंजीगत ब्याज सब्सिडी की प्रतिपूर्ति की जायेगी। इसके अंतर्गत प्रत्येक परियोजना के अधिकतम 50 लाख रूपये की सीमा के अधीन।

8.2 नैदानिकी परीक्षण– प्रदेश में स्थित अनुसंधान एवं विकास संस्थान द्वारा प्रति नैदानिक परीक्षण पर किये गये कुल खर्च का 75 प्रतिशत, अधिकतम रू0 1 करोड़ की प्रतिपूर्ति।

8.3 संविदीय/प्रायोजित अनुसंधान कार्य हेतु सहायता– किसी फार्मा औद्योगिक इकाई द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थित यूजीसी/सरकारी/एआईसीटीई से मान्यात प्राप्त संस्थान/विश्व विद्यालय/कालेज को बायोटेक्नोलॉजी एवं फार्मास्युटिकल अनुसंधान परियोजना प्रदान करने पर परियोजना की लागत का 50 प्रतिशत, भूमि एवं भवन लागत को छोड़कर, सब्सिडी दी जायेगी; पॉलिस की अवधि के दौरान एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम रू0 50 लाख प्रति परियोजना।

9. पेटेंट फाइलिंग और गुणवत्ता प्रमाणनः

9.1 पेटेंट फाइलिंग शुल्क– पेटेन्ट प्राप्त प्रकरणों में घरेलू पेटेन्ट के लिए पेटेन्ट फाइलिंग वास्तविक व्यय का 100 प्रतिशत, अधिकतम रू0 1 लाख तथा अन्तर्राष्ट्रीय पेटेन्ट के लिए वास्तविक व्यय का 50 प्रतिशत, अधिकतम रू0 5 लाख की प्रतिपूर्ति की जायेगी। आयुष एवं फाइटोमेडिसिन निर्माण करने वाली इकाईयों को पेटेंट फाइलिंग व्यय का शत–प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जायेगी।

9.2 गुणवत्ता प्रमाणन – इस नीति के तहत योग्य इकाईयों को आईएसओ प्रमाणीकरण के लिए एक वित्तीय वर्ष में आई0एस0ओ0 प्रमाणीकरण व्यय का 75 प्रतिशत; अधिकतम रू0 75 हजार प्रति इकाई तथा बी0आई0एस0 प्रमाणीकरण व्यय का 50 प्रतिशत; अधिकतम रू0 20 हजार प्रति यूनिट प्रतिपूर्ति की जायेगी। आयुष एवं फाइटोमेडिसिन निर्माण करने वाली इकाईयों को प्रमाणीकरण व्यय का शत–प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जायेगी।

10. नवाचार एवं स्टार्टअप–

फार्मास्युटिकल इनक्यूबेटर्स – सरकार द्वारा सरकारी फार्मेसी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में इन्क्यूबेटर स्थापित किया जायेगा और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में भी इनक्यूबेटर स्थापित करेगी। ये इन्क्यूबेटर्स उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी और प्रारम्भ–नीति 2017 के अनुसार निम्नलिखित प्रोत्साहनों के लिए पात्र होगें।

10.1 पूँजी अनुदान—इन्क्यूबेटर की स्थापना के लिए सरकारी होस्ट हो 75 प्रतिशत तथा अन्य होस्ट को 50 प्रतिशत, अधिकतम रू0 1 करोड़ की प्रतिपूर्ति दी जायेगी।

10.2 लीज/रेंटल स्पेस पर छूट – इन्क्यूबेटर द्वारा प्रयुक्त स्थान हेतु लीज/रेंटल व्यय पर 25 प्रतिशत, अधिकतम रू0 10 लाख प्रतिवर्ष की प्रतिपूर्ति 5 वर्ष तक के लिए प्रदान की जायेगी।

10.3 कार्यालय एवं भूमि के विकय/लीज/स्थानान्तरण के प्रथम ट्रांजैक्शन पर स्टॉम्प ड्यूटी में 100 प्रतिशत छूट।

10.4 विद्युत कर में 5 वर्ष तक 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति।

10.5 मेन्टरशिप सहायता— पॉलिसी अवधि के अंतर्गत एक बार प्रत्येक मेन्टर को कोचिंग, मार्गदर्शन, यात्रा, अस्थायी आवास आदि पर प्रति मेन्टर रू0 02 लाख की सहायता प्रदान की जायेगी।

11. विपणन सहायता—

11.1 एमएसएमई इकाईयां – फार्मा सेक्टर की एमएसएमई इकाईयॉ अंतर्राष्ट्रीय/प्रदर्शनियों/मेलों में प्रतिभाग करने के लिए व्यय का 50 प्रतिशत; अधिकतम रू0 5 लाख, यात्रा एवं आवास व्यय को छोड़कर, प्रति इकाई व्यय प्रतिपूर्ति की पात्र होंगी। यह प्रोत्साहन इकाई को पूरे नीति अवधि में एक बार दिया जायेगा।

11.2 आयुष तथा फाईटोफर्मामेडिसिन— आयुष एवं फाइटोमेडिसिन का निर्माण करने वाली इकाईयों को एक वर्ष में अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/मेलों में प्रतिभाग करने के लिए व्यय का 75 प्रतिशत, यात्रा एवं आवास व्यय को छोडकर; अधिकतम 5 लाख प्रति प्रदर्शनी/मेला प्रतिपूर्ति तथा स्वदेशी प्रदर्शनियो/मेलों में प्रतिभाग करने के लिए व्यय का 50 प्रतिशत, यात्रा एवं आवास व्यय को छोडकर; अधिकतम 2 लाख प्रति प्रदर्शनी/मेला प्रतिपूर्ति दी जायेगी। यह प्रोत्साहन इकाई को पूरे नीति अवधि में एक बार दिया जायेगा।

नोटः—

(क) प्रतिपूर्ति सब्सिडी, छूट आदि के रूप में समस्त प्रोत्साहन, फार्मा सेक्टर में एमएसएमई/बड़ी इकाइयां द्वारा किए गए स्थिर पूंजी निवेश के अधिकतम 100 प्रतिशत के अधीन होंगे।

(ख) प्रतिपूर्ति सब्सिडी, छूट आदि के रूप में समस्त प्रोत्साहन फार्मा सेक्टर में मेगा इकाइयों द्वारा किए गए स्थिर पूंजी निवेश के अधिकतम 200 प्रतिशत के अधीन होंगे।

12. व्यवसाय की आसानी (ईओडीबी)

राज्य के औद्योगिक निवेश और रोजगार संवर्धन (आईआईईपी) नीति–2017 की दृष्टि और मिशन को आगे बढ़ाते हुए, यह नीति भी व्यवसाय की आसानी सुनिश्चित करती है और राज्य में अनुकूल व्यवसायिक परिवेश सुनिश्चित करती है।

12.1 **एकल खिड़की** – इकाईयों को आवश्यक सभी अनुमोदनों को मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा नियंत्रित एकल खिडकी व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदान किया जायेगा।

12.2 **समयबद्ध स्वीकृतियॉ**– त्वरित एवं समयबद्ध स्वीकृतियॉ प्रदान करना इस नीति की प्रमुख उद्देश्य है। इस उद्देश्य की प्राप्ति, सेवाओं, स्वीकृतियॉ, अनुमोदन, परमिट आदि का ससमय प्रतिपादन अधिनियम के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।

13. **नीति का कार्यान्वयन**

इस नीति के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग नोडल विभाग. होगा।

13.1 उत्तर प्रदेश फार्मास्युटिकल डेवलपमेंट सेल को तकनीकी मार्गदर्शन एवं समर्थन के लिए स्थापित किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश फार्मास्युटिकल डेवलपमेंट सेल की स्थापना की जाएगी। सेल में सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधियों एवं फार्मास्युटिकल और जैव प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे। नियामक समितियों और अन्य लोगों द्वारा संदर्भित प्रकरण समय–समय पर सेल द्वारा विचार किए जाएंगे। यू.पी. फार्मास्युटिकल डेवलपमेंट सेल निम्नलिखित उद्देश्य के साथ कार्य करेगा –

- राज्य में फार्मास्युटिकल और जैव–प्रौद्योगिकी के समग्र विकास को बढ़ावा देने, समर्थन और सुविधा प्रदान करना।
- बुनियादी ढांचे के विकास, अनुसंधान, नवाचार और मानव संसाधन विकास की सुविधा प्रदान करना।
- फार्मास्युटिकल और जैव प्रौद्योगिकी के प्रचार के लिए क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग को सुविधाजनक बनाना।
- डाटा बैंक और संसाधन केंद्रों के विकास की सुविधा के लिए।

- वैज्ञानिक जागरूकता, सामाजिक नैतिक स्वीकृति अपनाने और औषधि और जैव प्रौद्योगिकी के आवेदन के निर्माण की सुविधा के लिए।

13.2 नीति कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) की स्थापना अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त के अधीन की जाएगी। पीआईयू यूपी फार्मास्युटिकल उद्योग नीति 2018 के प्रभावी और सफल कियान्वयन से संबंधित मामलों पर निर्णय लेगा। उत्तर प्रदेश फार्मास्युटिकल डेवलपमेंट सेल के सामंजस्य से इस नीति के तहत परिभाषित इकाइयों के लिए लागू प्रोत्साहनों के लिए सिफारिश और अनुमोदन प्रदान करने के लिए पीआईयू जिम्मेदार होगी और समय से शिकायत का निवारण प्रदान करेगी। नीति कार्यान्वयन इकाई में जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के भी नोडल अधिकारी सम्मिलित होंगे।

13.3 प्राधिकृत समिति – मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्राधिकृत समिति यू.पी. फार्मास्युटिकल उद्योग नीति 2018 के विकास और इसके कार्यान्वयन की निगरानी करेगी। विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव इसके सदस्य होंगे। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के सचिव, समिति के समन्वयक सचिव होंगे। उद्योग संघों के प्रतिनिधि आमंत्रित सदस्य होंगे।

नोट – फार्मा इकाइयां जोकि किसी अन्य नीति के अन्तर्गत अथवा सरकार के किसी अन्य विभाग द्वारा स्वीकृत लाभ/सुविधाओं का उपयोग कर रही हैं वह भी इस नीति के अन्तर्गत सुविधायें/लाभ प्राप्त करने की पात्र होंगी बशर्ते इकाइयों द्वारा एक ही प्रकार का लाभ किसी अन्य नीति के अन्तर्गत उपभोग न किया गया हो।

Uttar Pradesh Pharmaceutical Industry Policy, 2018

1. Introduction

Indian economy is looked upon as one of the world's fastest growing large economies reaping high demographic dividend. It continues to be a bright spot in the world with an average GDP growth rate of 7% for last three years (2014-15 to 2016-17). The Manufacturing sector forms the base of this economic growth and India poises to be a manufacturing hub of global recognition.

The Pharmaceutical Industry in India is robust and thriving. The Indian pharmaceutical market is the third largest in terms of volume and thirteen largest in terms of value. It is the second largest market in Asia for pharmaceuticals and accounts for nearly 3% of the global pharmaceutical industry in value terms and 10% in volume. The annual turnover of the Industry in 2015-16 was INR 2,04,627.15 Cr. The industry has witnessed a robust growth, registering a growth of 29% in FY 2015-16.

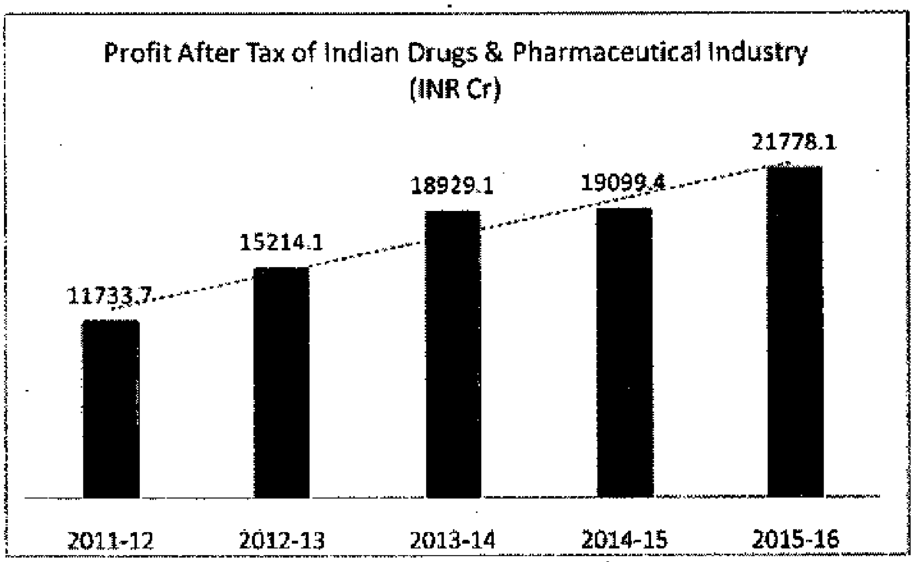

Source: Annual Plan (2016-17), Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals & Fertilizers

By 2020 India is expected to be 6th largest market globally. The Indian Pharmaceutical sector is largely fuelled by exports and is the 3rd largest foreign exchange earner for India. In 2015-16, the exports of Drugs, Pharmaceuticals and Fine Chemicals amounted to INR 1,09,770 Cr in India. India exports medicines to nearly more than 220 nations across the globe.

Pharmaceutical Exports from India Category wise (INR Cr)		
Category	**FY-15**	**FY-16**
Ayush	769.99	706.94
Bulk Drugs & Drug	23,169	23,302.8

Intermediates		
Drug Formulations & Biologicals	72,892.04	82,192
Herbal Products	1,536.65	1,618
Surgicals	1,946.15	1,950
Total	**1,00,313.83**	**1,09,769.74**
Source : India Bulk Manufacturing Association of India		

In the generics market, India exports 20% of global generics, making it the largest provider of generic medicines globally. Indian medical device market is expected to be of INR 53,300 Cr in 2020. India is one of the top 20 global medical device markets and the 4th largest medical device market in Asia.

After 100% FDI has been allowed through automatic route for Greenfield pharmaceutical projects, and 74% FDI has been allowed through automatic route for Brownfield pharma projects, the Pharmaceutical industry has become most attractive sector for investments and in gaining competitive edge in global market. The sector attracted FDI worth INR 77.631 crore between April 2000 and June 2017, which was 4% of total FDI inflows in India. Major foreign investors include Johnson and Johnson, P&G, NIPRO and Otsuka, amongst others.

India is one of the most cost effective manufacturers of drugs and pharmaceuticals in the world, owing to the abundance of natural resources and availability of cheap labour in the country. The country produces diverse range of products, and the healthcare market is rapidly expanding here.

Taking forward the Make in India vision of Government of India,.State Government of Uttar Pradesh has launched its Industrial Investment and Employment Policy (IIEP) 2017, which is expected to expedite industrialisation in the State and boost investments. The State is committed towards strengthening its foothold in Drugs and Pharmaceutical sector so as to create a promising ecosystem to maximum the inherent potential of the state in this sector and generate mass employment opportunities.

2. Advantage Uttar Pradesh

Uttar Pradesh is India's 3rd largest economy and largest consumer market with population size of over 200 million. With the highest population among all Indian states, Uttar Pradesh offers to be the biggest market for pharmaceuticals. With increase in the middle class population most of the people can afford quality healthcare, thereby creating higher demand for pharmaceutical sector. The State has a 3-tier public healthcare infrastructure, comprising community health centres (CHCs), primary health centres (PHCs) & sub-centres.

UP is amongst the top five manufacturing states of India and has the second highest number of Micro, Small and Medium Enterprises in India. The exports from the state recorded 13.26% CAGR in last five years (2012-17). It has favourable factors of production to facilitate development of pharma sector including availability of raw material and manpower.

2.1. Enabling Ecosystem

2.1.1. Raw Material base and growing Industry

The State has second highest number of MSME's in the country and has a considerable chemical and medicinal raw material base. There are around 450 pharmaceutical units in the State, of which majorities are into formulation, mostly located in districts of Ghaziabad, GB Nagar, Lucknow, Kanpur.

Exports of Pharmaceutical Products from Uttar Pradesh (INR Crore)	
2015-16	363.42
2016-17	519.23
Source: Department of Export Promotion, Govt of Uttar Pradesh	

Export of Pharmaceutical Products from Uttar Pradesh

Uttar Pradesh has nearly 17% market share of national sale in terms of value, with a turnover of about INR 90,000 crore in pharma sector (2014-15). There are about 76000 pharmacists and 71,000 retail pharmacies in U.P.The industrial panorama in the state is encouraging and reflects potential for considerable growth in the pharma sector.

2.1.2. Availability of Manpower and Strong R&D base

The State has perennial supply of manpower and prestigious research institutes and Department of Pharmaceutics in various educational institutes. The Abdul Kalam Technical University of Uttar Pradesh has 100 colleges providing B.Pharm degree and 64 colleges providing M.Pharm degree. Uttar Pradesh has prestigious research institutes like-

- CSIR-Central Drug Research Institute, Lucknow
- National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Raibareli
- Indian Institute of Toxicology Research (IITR), Lucknow
- Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants, Lucknow
- Indian Pharmacopoeia Commission, Ghaziabad.
- National Institute of Biologicals (NIB), Noida.
- Biological Sciences and Bioengineering Department, IIT- Kanpur
- Biotechnology Department, MNNIT-Allahabad

- Department of Pharmaceutics, Indian Institute of Technology – Banaras Hindu University (IIT BHU)

2.1.3. Connectivity Advantage

As Indian pharmaceutical industry is the export oriented, Uttar Pradesh has suitable export facilitating infrastructure.

Location Advantage

- Located on Golden Quadrilateral.
- Excellent road network
- Access to National Capital Region on the west
- Strategic access to market & resource depth of eastern India
- Largest railway network in the country spanning over 8,949 km

Connectivity

- Major national & international airports connecting the rest of India, Middle East & South East Asian countries.
- Two upcoming international airports at Jewar & Kushinagar
- Proposed NW-1 connecting Allahabad to Haldia port

Industrial Corridors

- 8.5% of DMIC catchment area and 57% of AKIC in UP
- Intersection of WDFC and EDFC at Greater Noida
- Multi-modal logistic hubs, industrial parks etc. to benefit from reduced travel time to ports

Logistics Infrastructure

- Existing logistics infrastructure Moradabad rail linked combined domestic and EXIM terminal, Rail linked Pvt Freight Terminal and Inland Container Depot in Kanpur, ICD at Dadri Terminal and Kanpur ICD.
- Three multi modal logistics/ transport hubs are proposed at Noida, Boraki and Varanasi.

2.2. Opportunities in Uttar Pradesh

- **Manufacturing Bulk Drugs and Formulations including Generic Medicines**
- **Research and Development**
    - Drug Testing Technology
    - Contract Research and Manufacturing Services (CRAMS)
    - Biologics and Biosimilars
    - AYUSH and Phytomedicine
- **Distribution** – Uttar Pradesh is the 4th largest state with population density of 829 people per sq.km. There is immense scope for development of a drug mechanism for distribution of all kinds of drugs.
- **Manufacturing Medical Devices** - With new hospitals and nursing houses coming up and renovation of existing facilities, manufacturing medical devices in Uttar Pradesh is a promising opportunity.

3. About Policy

The State is emerging as a top industrial destination with investment friendly reformative policy approach.This policy takes ahead the vision and objectives of State's Industrial Investment and Employment Promotion Policy 2017 and provides attractive incentives to develop supporting ecosystem for a competitive Pharma industry in Uttar Pradesh.

The policy aims at building up competencies of research, development and commercialization in pharmaceutical sector, capable of harnessing the true potential of the sector in a sustainable way by utilizing the knowledge and manpower from premier institutions to provide quality and affordable healthcare services.

3.1. Objectives

- To promote establishment of specialized Pharmaceutical Parks with best-in-class infrastructure and technology.
- To encourage cutting-edge pharmaceutical research, build world-class infrastructure and attract world's best talent to contribute to the State's development.
- To promote creation of Intellectual Property (IP) in the pharmaceutical sector by facilitating R&D institutions and contributing more funds to R&D in the pharmaceutical sector
- To promote AYUSH healthcare through promotion of R&D and manufacturing of AYUSH healthcare products

3.2. Period of the policy

- This policy will come into effect on the date of its notification and will remain inforce for the period of 5 years.
- If at any stage a situation arises which necessitates any amendment or supersession of the policy, only the cabinet will be authorised to approve such amendments/supersession.

- In case of any amendment in this policy, if any package of incentives is already committed by the state government to any unit, will not be withdrawn and the unit will continue to remain entitled to the benefits.

3.3. Definitions

1. **MSME Units** - Projects with capital investment as approved under Govt of India's MSMED Act 2006.
2. **Large Units** - Projects with capital investment over that of MSME units but less than INR 100 crore.
3. **Mega Units** – Projects with capital investment of or more than INR 100 crore.
4. **Horizontal Pharma Park** – Private parks developed over minimum 10 acres, with at least 5 units, and 60% of which is allotted to entrepreneurs.
5. **Vertical Pharma Park** – Private parks developed like a tower or group of towers on minimum area 3 acres of land, with at least 3 units, and 60% of which is allotted to entrepreneurs.

4. Policy Framework

4.1. Developing Infrastructure

4.1.1. Focus on Pharma Park – State of Uttar Pradesh will facilitate quality infrastructure and support base for establishment and growth of pharma industry in UP. The policy intends to identify land parcels and develop Parks, for manufacturing allopathic, ayush and homeopathic products and for Medical devices and equipments.

These parks will be equipped with ready-to-use infrastructural facilities such as common testing laboratories, diagnostic centres, power station, cold storages, common facility centres, effluent treatment plants and other basic amenities built on 'walk to work' concept. The State will encourage the developers to build quality testing facilities meeting requirement of API/Formulation Lab and standards of Quality Council of India (QCI). The policy promotes setting up labs duly certified by QCI in the state.

4.1.2. Focus on Mega Projects and SMEs–Through this policy, the state puts high impetus on creating manufacturing giants to compete global standards in international market. These mega projects create wide opportunities for ancillaries, downstream and SME units. Therefore, the policy provides to attract Mega projects through special incentives and concessions, while also, the policy support the SMEs to grab the opportunities in the booming sector. Special packages of incentives and concessions have been designed for SMEs units in the sector under this policy.

4.1.3. Supporting Infrastructure –

A. **<u>API/Formulation Lab</u>** – Quality assurance of API & Formulation is back bone of Pharmaceutical Industry. Such a lab would resolve the

challenges such as excessive logistics and infrastructure investment. Government will facilitate to setup Common Testing Laboratory with consultation of Quality Council of India and other stakeholders. This facility will enhance the presence of research and development activity in the value chain.

B. **Cold Storage facilities** - Government will encourage industries in creating a distribution temperature controlled warehouse for temperature sensitive pharmaceuticals. Development of common cold storage facilities will be incentivised under this policy.

4.2. Promoting AYUSH and Phytomedicine

In order to promote indigenous medicine, Units manufacturing AYUSH healthcare products will be given preference in land allotment. In order to safeguard the traditional knowledge special marketing incentives and for patent filing and certification will be provided to units manufacturing Ayush healthcare products. Similarly, the State will promote Phytopharmaceutical Drugs to encourage alternative medicine and will provide incentives to research and production units to develop market for these products.

4.3. Research & Development –

4.3.1. The strength of pharmaceutical sector largely depends on advancement of R&D in the sector over time. Innovation is must for sustained development of the pharma sector to meet emerging global trends. Uttar Pradesh is also home to world's reputed research centres in the sector, and existing education & research base, which provides immense knowledge and have potential for innovations in bio-tech and pharma sector.

The State aims at providing financial support to the research proposals for R&D and innovation in bio-tech and pharma sector, through the existing education institutes and pharma companies in Uttar Pradesh to drive cost efficiencies. The policy aims at building a strong industry interface in this context. Research projects, clinical trial projects taken up in collaboration with Industry and Institutions will be patronised. Also, the policy will assist in acquiring Patent, and protecting Intellectual Property Rights.

4.4. Promoting Innovations and Startup

State will encourage innovations through new ventures in Pharmaceutical sector. In order to promote Startups in pharmaceutical sector, the state will use Uttar Pradesh Start-up Fund set up under Uttar Pradesh Information Technology and Starup Policy, 2017. Incubators at educational institutions, medical colleges and universities would be set up. The policy provides provisions to help Startups in pharma sector to scale up their business models.

4.5. Ecosystem Support

4.5.1. Conducive Business Environment –Govt. of Uttar Pradesh will make sincere efforts to meet requirements of entrepreneurs in the sector. The policy not only incentivises setting up business in Pharma sector but also ensures a conducive business environment to attract investors as mentioned under State's Industrial Investment and Employment Promotion Policy 2017.

4.5.2. Simplified Procedures – The sector is knowledge based and in order to attract and smoothen processes in development of the industry in state, the policy ensures single window clearances to Pharmaceutical Industry. The policy also looks forward to ensure high quality standards and modern testing facilities.

4.5.3. Eco friendly approach – Since pharma industry produces waste and effluent, this policy aims at promoting the pharma sector in Uttar Pradesh with an eco-friendly approach. Special incentives will be given for effluent treatment and environment protection.

5. Private Pharmaceutical Parks

Govt. of Uttar Pradesh will facilitate setting up Pharmaceutical Parks in the state, especially in areas with strong ecosystem support for the sector. Focus districts under this policy for setting up Pharma Parks will include Gautambuddha Nagar, Ghaziabad, Agra, Kanpur, Lucknow, Jhansi, Gorakhpur, Varanasi and Allahabad. These parks will provide 'plug-and-play' industrial infrastructure allowing companies to focus on their core business, and therefore will comprise –

- Manufacturing area,
- Testing area,
- Cold storages and warehousing,
- Common facility centres, hostel areas
- Other facilities such as standalone power station, sewage treatment plant, etc.

The developers of defined **Horizontal Pharma Park and Vertical Pharma Park** shall be eligible for incentives under State's Industrial Investment and Employment Promotion Policy (UPIIEPP) 2017–

5.1. Interest subsidy in the form of reimbursement of interest of 50% of annual interest on the loan taken to buy land for 7 years subject to a maximum subsidy of INR 50 lacs per annum per Pharma park.

5.2. Interest subsidy in the form of reimbursement of interest of 60% of annual interest for 7 years on the loan taken for building infrastructure such as roads, power feeder, drainage in the pharma park subject to INR 10 crore per year, subject to maximum subsidy of INR 50 crore per Pharma park in the said period.

5.3. Interest subsidy in the form of reimbursement of interest of 60% of annual interest for 7 years on the loan taken for building common facilities – warehouse & cold chain facilities, Hostel/Dormitory Housing for workers in the industrial parks/estates subject INR 5 crore per year, subject to maximum subsidy of INR 30 crore per Pharma park in the said period.

5.4. 100% exemption on stamp duty on the purchase of land by the developer and 50% exemption on stamp duty to individual buyers of first instance will be provided on purchase of plot in the Pharma parks.

6. Incentives to units

In order to encourage industrial investment in the pharmaceutical sector, the State government will provide concessions, subsidies and financial assistance to promote industrial development in pharmaceutical sector.

For this purpose following incentives as under State's Industrial Investment and Employment Promotion Policy 2017 will be extended to eligible new pharmaceutical units -

6.1. Capital interest subsidy to the extent of 5% per annum for 5 years in the form of reimbursement on loan taken for procurement of plant & machinery, subject to maximum subsidy of INR 50 lacs per annum per unit.

6.2. Infrastructure Interest Subsidy– Units setup in Pharma sector in the state, will for a maximum period of 5 years be reimbursed the amount of interest at the rate of 5% payable on loan taken by them for developing infrastructural amenities for self-use like sewage and water drainage, erection of power line, transformer and power feeder, subject to maximum subsidy of INR 1 crore.

6.3. Industry Research Subsidy - Interest subsidy to the extent of 5% per annum for 5 years in the form of reimbursement on loan taken for industrial research, quality improvement and development of products by incurring expenditure on procurement of plant, machinery & equipment for setting up testing labs and quality certification labs, subject to an overall ceiling of INR 1 Crore.

6.4. Electricity duty exemption– 100% exemption for 10 years to all new units. 100% exemption from electricity duty for 10 years to all new units producing electricity from captive power plants for self-use.

6.5. Stamp Duty Incentive – 100% Stamp duty exemption to all new units across the state.

6.6. SGST reimbursement– 90% reimbursement for MSME units in Pharma sector for 5 years, 60% reimbursement to eligible Large Pharma Units for 5 years, and 70% reimbursement to Mega Pharma units for 10 years. This would be subject to annual ceiling of 20% of capital investment or actual tax deposited, whichever is lower, subject to maximum ceiling of 100% of fixed capital investment made by the unit.

6.7. Mandi Fee exemption – In consonance to UP IIEPP 2017, all new pharma units will be eligible for 100% mandi fee exemption on purchase of raw material for 5 years.

7. Environment Protection Subsidy

7.1. Setting up Common Purpose ETPs- For adopting zero effluent /waste water discharge facilities at Pharma Parks (Common Effluent Treatment Plant, Incinerator, etc.), the developer will be eligible for additional environment protection infrastructure interest subsidy on loan taken to set up common ETP to the extent of 50% of annual interest for 5 years; ceiling INR 2 crore.

7.2. Zero Waste Incentive - New individual pharma units eligible under this policy, adopting water recycling/harvesting and zero discharge technology shall be eligible for environment protection infrastructure interest subsidy on loan taken to set up such infrastructure to the extent of 50% of annual interest for 5 years; ceiling INR 10 lacs.

Reimbursement under Environment Protection Subsidy shall be made on producing a certificate from State Pollution Control Board (SPCB), Uttar Pradesh to this effect.

8. R&D Support

8.1. Support R&D institutes - New R&D institutes or facility set up for research & development in biotech and pharma sector, will be provided capital interest subsidy in form of reimbursement 60% of interest on loan taken to set up such facility, excluding land & building cost, subject to a maximum ceiling of INR 50 Lacs per project.

8.2. Clinical Trials- 75% reimbursement of the total expenditure incurred subject to maximum INR 1 crore per clinical trial to R&D institutes situated within Uttar Pradesh in a financial year over the policy period.

8.3. Assistance for contract/sponsored research work for biotech and pharmaceutical research projects from any industrial unit/industry association to recognized R&D institution/university/colleges in Uttar Pradesh approved by UGC/Government/AICTE will be considered subsidy of 50% of the eligible project cost, excluding cost of land and building, subject to a maximum of INR 50 Lacs per project in a financial year to institutes situated within Uttar Pradesh over the policy period.

9. Patent Filing and Quality Certification

9.1. Patent Filing fees will be reimbursed up to 100% of actual filing costs on awarded patents subject to a maximum of INR 1 lac for domestic patents, and up to 50% of actual filing costs on awarded patents, subject to maximum of INR 5 Lacs for international patents. Units manufacturing AYUSH and Phytomedicine will be eligible for full reimbursement of actual patent filing costs on awarded patents over the policy period.

9.2. Quality certification – Reimbursement of 75% of cost incurred for ISO certification subject to maximum INR 75,000 per unit in a financial year, and 50% of cost incurred for BIS certification, subject to maximum INR

20,000 per unit in a financial year. Units manufacturing AYUSH products will be eligible for full reimbursement towards cost incurred for quality certification over the period of this policy.

10. Innovations & Start Up

Pharmaceutical Incubators- Government will set up Incubators in Government Pharmacy Colleges, Universities and will also set up Incubators in partnership with private sector. These incubators will be eligible to following incentives as per Uttar Pradesh Information Technology & Start-Up Policy 2017 -

10.1. **Capital Grants** for setting an incubator in form of reimbursement up to 75% in case of Govt hosts, and upto 50% in case of other hosts, subject to maximum INR 1 crore.

10.2. **Rebate on lease/Rental Space** – Reimbursement up to 25% of lease/rental charges on the space used by incubator for operations up to maximum INR 10 lacs per year, for a period of 5 years.

10.3. 100% exemption of Stamp duty on sale/lease/ transfer of land and office space for first transaction.

10.4. 100% reimbursement of electricity duty for a period of 5 years.

10.5. **Mentorship Assistance** of INR 2 lacs per mentor, covering expenses incurred on coaching, guiding, travelling, lodging etc., one time over Policy Period.

11. Marketing Support

11.1. **MSME units** – MSMEs in Pharma sector will be eligible for reimbursement of 50% of cost of participation in international exhibitions/fairs, excluding travel and accommodation cost with a maximum amount of INR 5 lacs per unit. The incentive will be provided to a unit only once over the policy period.

11.2. **Market for AYUSH and Phytomedicine–** Units manufacturing AYUSH or Phytomedicine shall be reimbursed 75% of cost of participation in international exhibitions/fairs excluding travel and accommodation subject to maximum INR 5 lacs per event in a year, and will be reimbursed 50% of cost of participation in domestic exhibitions/fairs excluding travel and accommodation subject to maximum INR 2 lacs per event in a year. The incentive will be provided to a unit only once over the policy period.

NOTE-

A. All incentives in the form of reimbursement, subsidies, exemptions etc., will be subject to a maximum of 100% of fixed capital investment made by MSME, Large units in Pharma sector.

B. All incentives for eligible mega projects in the form of reimbursement, subsidies, exemptions etc., will be subject to a maximum of 200% of fixed capital investment made by Mega units in Pharma sector.

12. Ease of Doing Business

Taking forward the vision and mission of State's Industrial Investment and Employment Promotion (IIEP) Policy, 2017, this policy also ensures ease of business and ensures conducive business environment in the state.

12.1. Single Window – All required approvals to logistics units shall be provided under one roof through single window system of the state, directly monitored by the Chief Minister's office.

12.2. Time bound clearances – Providing speedy and time bound clearances is one of the prime intentions of this policy. Towards this goal, timely delivery of services, clearances, approvals, permits, etc. will be guaranteed through act.

13. Policy Implementation

Department of Infrastructure and Industrial Development will be nodal department for implementation and monitoring of this policy.

13.1. Uttar Pradesh Pharmaceutical Development Cell will be set up as advisory body for technical guidance and support. The Cell will be chaired by Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Department of Infrastructure and Industrial Development, and consist of representatives from concerned departments and experts from different areas of Pharmaceutical and Biotechnology. The matter referred by the regulatory committees and others will be taken up by the Cell from time to time. UP Pharmaceutical Development Cell will operate with the following mandate:

- To promote, support and facilitate the overall development of Pharmaceutical and Biotechnology in the State.
- To facilitate the infrastructure development, research, innovation and human resource development.
- To facilitate regional, national and international networking for promotion of Pharmaceutical and biotechnology.
- To facilitate the development of data bank and resource centres.
- To facilitate creation of scientific awareness, socio-ethical acceptance, adoption and application of Pharmaceutical and biotechnology.

13.2. Policy Implementation Unit (PIU) will be set up under the Infrastructure and Industrial Development Commissioner. The PIU shall take decisions on matters pertaining to effective and successful implementation of UP Pharmaceutical Industry Policy 2018. The Unit shall be responsible for

providing recommendation in consonance with UP Pharmaceutical Development Cell and approval for incentives applicable to units defined under this policy, and shall provide timely grievance redressal. The Policy Implementation Unit will comprise of Nodal Officers from Department of Science and Technology, and Department of Food Safety and Drug Administration.

13.3. **Empowered Committee** under the chairmanship of Chief Secretary shall oversee the development of UP Pharmaceutical Industry Policy 2018 and monitor the implementation of the same. The Principal Secretaries/Secretaries of different departments will be its member. Principal Secretary, Department of Infrastructure and Industrial Development will be the Coordinating Secretary of the Committee. Representatives of the Industry Associations will be invitee members.

Note – Pharma units availing incentives from any other policy or those sanctioned by the departments of the State government, will also be entitled to avail incentives/benefits mentioned in this policy provided the same kind of benefits/incentives are not being availed from any other policy.

****

उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–6
संख्या 1765/77–6–20–05(एम)/17टीसी–3
लखनऊ : दिनांक 13 जुलाई, 2020

अधिसूचना

भारत का संविधान के अनुच्छेद–162 के अन्तर्गत कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हुए "उत्तर प्रदेश फार्मास्युटिकल उद्योग नीति 2018" के अनुच्छेद–13, 13.1, 13.2 एवं 13.3 में संशोधन तथा नया प्रस्तर 8.4 एवं प्रस्तर 13.4 निम्नानुसार जोड़े जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

प्रस्तर	वर्तमान व्यवस्था	प्रतिस्थापित व्यवस्था
8.4	नया प्रस्तर	सभी संबंधित फार्मा इकाइयों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अधिकतम 50 प्रशिक्षु प्रतिवर्ष के अनुसार 06 माह तक रू0 1000 प्रतिमाह प्रति–प्रशिक्षु की प्रतिपूर्ति 5 वर्षों तक प्रदान की जाएगी।
13	इस नीति के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग नोडल विभाग होगा ।	इस नीति के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग नोडल विभाग होगा।
13.1	उत्तर प्रदेश फार्मास्युटिकल डेवलपमेंट सेल को तकनीकी मार्गदर्शन एवं समर्थन के लिए स्थापित किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश फार्मास्युटिकल डेवलपमेंट सेल की स्थापना की जाएगी।	उत्तर प्रदेश फार्मास्युटिकल डेवलपमेंट सेल को तकनीकी मार्गदर्शन एवं समर्थन के लिए स्थापित किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश फार्मास्युटिकल डेवलपमेंट सेल की स्थापना की जाएगी। उद्योग संघों के प्रतिनिधि आमंत्रित सदस्य होंगे।
13.2	नीति कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) की स्थापना अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त के अधीन की जाएगी। पीआईयू यूपी फार्मास्युटिकल उद्योग नीति 2018 के प्रभावी और सफल कियान्वयन से संबंधित मामलों पर निर्णय लेगा। उत्तर प्रदेश फार्मास्युटिकल डेवलपमेंट सेल के सामंजस्य से इस नीति के तहत परिभाषित इकाइयों के लिए लागू	नीति कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) की स्थापना अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त के अधीन की जाएगी। इसके अन्तर्गत सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा वृहद् श्रेणियों के आवेदनों को स्वीकृति प्रदान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश फार्मास्युटिकल डेवलपमेंट सेल के सामंजस्य से इस नीति के तहत परिभाषित इकाइयों के लिए लागू प्रोत्साहनों के लिए सिफारिश और अनुमोदन प्रदान करने के लिए पीआईयू जिम्मेदार होगी और समय से शिकायत

	प्रोत्साहनों के लिए सिफारिश और अनुमोदन प्रदान करने के लिए पीआईयू जिम्मेदार होगी और समय से शिकायत का निवारण प्रदान करेगी। नीति कार्यान्वयन इकाई में जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के भी नोडल अधिकारी सम्मलित होंगे।	का निवारण प्रदान करेगी। नीति कार्यान्वयन इकाई में, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग एवं आयुष विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव (यथास्थिति) सम्मिलित होंगे।
13.3	मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्राधिकृत समिति यू.पी. फार्मास्युटिकल उद्योग नीति 2018 के विकास और इसके कार्यान्वयन की निगरानी करेगी। विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव इसके सदस्य होंगे। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के सचिव, समिति के समन्वयक सचिव होंगे। उद्योग संघों के प्रतिनिधि आमंत्रित सदस्य होंगे।	मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्राधिकृत समिति यू.पी. फार्मास्युटिकल उद्योग नीति 2018 के विकास और इसके कार्यान्वयन की निगरानी करेगी। इसके अन्तर्गत मेगा श्रेणियों के आवेदनों को स्वीकृति प्रदान किया जाएगा। विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव इसके सदस्य होंगे। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव (यथास्थिति) समिति के समन्वयक सचिव होंगे।
13.4	नया प्रस्तर	खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा नीति के कियान्वयन हेतु प्राप्त आवेदन/प्रस्ताव के अंतर्गत प्रोत्साहन/मूल्यांकन के निस्तारण/सत्यापन की प्रकिया के लिए किसी भी एक या एक से अधिक विशेष एजेन्सी जैसे–पिकप, यूपीसीडा अथवा बाह्य एजेन्सी, आदि को आबद्ध किया जा सकेगा।

2– अधिसूचना संख्या 28/2018–1489–अट्ठासी–18–07औ0/18 दिनांक 08.06.2018 द्वारा प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश फार्मास्युटिकल उद्योग नीति 2018" इस सीमा तक संशोधित समझी जाए। शेष शर्तें एवं प्राविधान यथावत रहेंगे।

(आलोक कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या।७६५(1)/77–6–20–05(एम)/17टीसी–3,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. महालेखाकार, प्रयागराज उ0प्र0।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।

6. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय कानपुर।
7. समस्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
8. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु।
9. प्रबन्ध निदेशक, पिकप।
10. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी उ0प्र0।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, लखनऊ उ0प्र0।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुजाता शर्मा)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अनुभाग

संख्या- 49 /2021/ 2138 /अट्ठासी-21-07औ0/18

लखनऊ : दिनांक 15 नवम्बर, 2021

अधिसूचना

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 162 के अन्तर्गत कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल द्वारा 'उत्तर प्रदेश फार्मास्युटिकल उद्योग (द्वितीय संशोधन) नीति, 2021 को प्रख्यापित किया जाता है।

(अनीता सिंह)

प्रमुख सचिव।

संख्या-49 /2021/ 2138 (1)/अट्ठासी-21, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।

3- स्थानिक आयुक्त, उ0प्र0, नई दिल्ली।

4- आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0 लखनऊ।

5- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

6- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

7- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत विज्ञप्ति का प्रकाशन असाधारण गजट के हिन्दी तथा अंग्रेजी अंक के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड-क में दिनांक 02.11.2021 की तिथि में करने तथा इसकी मुद्रित 200 प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें

8- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(प्रभात कुमार)

संयुक्त सचिव।

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

FOOD SAFETY AND DRUG ADMINISTRATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Miscellaneous

No: 49../2021/..2138../88-21-07AU./18

Dated: Lucknow, 15 November..2021

IN exercise of the powers conferred by the para no-3.2 of the UTTAR PRADESH PHARMACEUTICAL INDUSTRY POLICY, 2018 (AS AMENDED VIDE NOTIFICATION No-1764/77-6-20-05(M)/17TC-3, dated 13.07.2020), the Governor is pleased to promulgate UTTAR PRADESH PHARMACEUTICAL INDUSTRY POLICY (SECOND AMENDMENT), 2021 as under:

Short title and Commencement	(1) The policy may be called UTTAR PRADESH PHARMACEUTICAL INDUSTRY (SECOND AMENDMENT) POLICY, 2021. (2) It shall come into force at once.
Amendment	In the UTTAR PRADESH PHARMACEUTICAL INDUSTRY POLICY, 2018(AS AMENDED VIDE NOTIFICATION NO: 1764/77-6-20-05 (M)/17T.C.-3, dated 13.07.2020), hereinafter referred to as the said policy, for existing paras set out in column-1 below, the paras as setout in column-2 shall be substituted or inserted as the case may be, namely:-

COLUMN-1 Existing provisions	COLUMN-2 provision as hereby substituted/para inserted, as the case may be
3.1- Objectives- • To promote establishment of specialized Pharmaceutical Parks with best-in-class infrastructure and technology. • To encourage cutting-edge pharmaceutical research, build world-class infrastructure and attract world's best talent to contribute to the State's development. • To promote creation of Intellectual	3.1- Objectives- • To promote establishment of ultra modern Pharmaceutical Parks for manufacturing of Formulations, Active Pharmaceutical Ingredients (API), Key Starting Material (KSM), Drug Intermediates (DI) and Medical Devices. • To encourage ultra modern pharmaceutical research, build world-class infrastructure and attract world's best talent to contribute to the State's

Property (IP) in the pharmaceutical sector by facilitating R&D institutions and contributing more funds to R&D in the pharmaceutical sector. ▪ To promote AYUSH healthcare through promotion of R&D and manufacturing of AYUSH healthcare products.	development. • To promote creation of Intellectual Property (IP) in the pharmaceutical sector by facilitating R&D institutions and contributing more funds to R&D in the pharmaceutical sector. • To promote AYUSH healthcare through promotion of R&D and manufacturing of AYUSH healthcare products.
3.3- Definitions- 1. MSME Units- Projects with capital investment as approved under Govt of India's MSMED Act, 2006.	**3.3- Definitions-** 1. **MSME Units-** Projects with capital investment as approved under Govt of India's MSMED Act, 2006 as amended from time to time. Following new definitions shall be inserted after serial number-5: 6. **Research and Development-** includes work done in order to develop new drug, new formulation, novel technology of production, novel drug delivery system, development of formulation, development of new medical device. 7. **Active Pharmaceutical Ingredient (API):** Any substance or mixture of substances intended to be used in the manufacture of a drug (medicinal) product and that, when used in the production of a drug, becomes an active ingredient of the drug product. Such substances are intended to furnish pharmacological activity or other direct effect in the diagnosis, cure, mitigation, treatment or prevention of disease or to affect the structure or function of the body. 8. **Drug Intermediate (DI):** A material produced during intermediate steps in the synthesis of an API that must undergo further molecular change or processing before it becomes an API.

	9. **Key Starting Material (KSM):** A raw material, intermediate or an API that is used in the production of an API and that is incorporated as a significant structural fragment into the structure of the API. KSM can be an article of commerce, a material purchased from one or more suppliers under contract or commercial agreement or produced in-house. KSMs are normally of defined chemical properties and structure. KSM and API identified by Government of India from time to time shall be eligible for this policy. Lists of identified KSM and API are enclosed as annexure 1 & 2 respectively.
4.1.1- Focus on Pharma Park– State of Uttar Pradesh will facilitate quality infrastructure and support base for establishment and growth of pharma industry in UP. The policy intends to identify land parcels and develop Parks, for manufacturing allopathic, ayush and homeopathic products and for Medical devices and equipments.	**4.1.1- Focus on Pharma Park–** State of Uttar Pradesh will facilitate quality infrastructure and support base for establishment and growth of pharma industry in UP. The policy intends to identify land parcels and develop Parks, for manufacturing allopathic, AYUSH products, Medical devices, and Key Starting Materials/ Drug Intermediates used in Bulk drug manufacturing.
These parks will be equipped with ready-to-use infrastructural facilities such as common testing laboratories, diagnostic centres, power station, cold storages, common facility centres, effluent treatment plants and other basic amenities built on 'walk to work' concept. The State will encourage the developers to build quality testing facilities meeting requirement of API/Formulation Lab and standards of Quality Council of India (QCI). The policy promotes setting up labs duly certified by QCI in the state.	These parks will be equipped with ready-to-use infrastructural facilities such as common testing laboratories, diagnostic centres, power station, cold storages, common facility centres, effluent treatment plants and other basic amenities built on 'walk to work' concept. The State will encourage the developers to build quality testing facilities meeting requirement of API/Formulation Lab and standards as specified under Drugs and Cosmetics Act and Rules made there under from time to time or any other relevant law. The policy promotes setting up of labs duly certified/ approved by Competent Authority in the state.

4.1.3(A)- API/Formulation Lab – Quality assurance of API & Formulation is back bone of Pharmaceutical Industry. Such a lab would resolve the challenges such as excessive logistics and infrastructure investment. Government will facilitate to setup Common Testing Laboratory with consultation of Quality Council of India and other stakeholders. This facility will enhance the presence of research and development activity in the value chain.	**4.1.3(A)- API/Formulation Lab –** Quality assurance of API & Formulation is back bone of Pharmaceutical Industry. Such a lab would resolve the challenges such as excessive logistics and infrastructure investment. Government will facilitate to setup Common Testing Laboratory with consultation of premier government research institutes and drug testing laboratories. This facility will enhance the presence of research and development activity in the value chain.
4.3.1- The strength of pharmaceutical sector largely depends on advancement of R&D in the sector over time. Innovation is must for sustained development of the pharma sector to meet emerging global trends. Uttar Pradesh is also home to world's reputed research centres in the sector, and existing education & research base, which provides immense knowledge and have potential for innovations in bio-tech and pharma sector. The State aims at providing financial support to the research proposals for R&D and innovation in bio-tech and pharma sector, through the existing education institutes and pharma companies in Uttar Pradesh to drive cost efficiencies. The policy aims at building a strong industry interface in this context. Research projects, clinical trial projects taken up in collaboration with Industry and Institutions will be patronised. Also, the policy will assist in acquiring Patent, and protecting Intellectual Property Rights.	4.3.1- The strength of pharmaceutical sector largely depends on advancement of R&D in the sector over time. Innovation is must for sustained development of the pharma sector to meet emerging global trends. Uttar Pradesh is also home to world's reputed research centres in the sector, and existing education & research base, which provides immense knowledge and have potential for innovations in bio-tech and pharma sector. The State aims at providing financial support to the research proposals for R&D and innovation in bio-tech and pharma sector including medical device and Key Starting Material/Drug Intermediates of API, through the existing education/research Institutes and pharma companies in Uttar Pradesh to drive cost efficiencies. State will sponsor research projects in collaboration with Industry, CSIR research institutes and premier pharmaceutical research institutes of Uttar Pradesh. State will create fund for research projects and CSIR research laboratories will be knowledge partners of the state for research projects.The

	policy aims at building a strong Industry interface in this context. Research projects, clinical trial projects taken up in collaboration with Industry and Institutions will be patronized. Also, the policy will assist in acquiring Patent, and protecting Intellectual Property Rights.
4.4- Promoting Innovations and Startup- State will encourage Innovations through new ventures in Pharmaceutical sector. In order to promote Startups in pharmaceutical sector, the state will use Uttar Pradesh Start-up Fund set up under Uttar Pradesh Information Technology and Starup Policy, 2017. Incubators at educational institutions, medical colleges and universities would be set up. The policy provides provisions to help Startups in pharma sector to scale up their business models.	**4.4- Promoting Innovations and Startup-** State will encourage innovations through new ventures in Pharmaceutical sector. In order to promote Start-ups in pharmaceutical sector, the state will use Uttar Pradesh Start-up Fund set up under Uttar Pradesh Startup Policy, 2020, as amended from time to time, to scale upBulk Drug/API and Medical Devices manufacturing including Key Starting Material and Drug Intermediates. Start-up units will be selected with the help of CSIR research Institutes.Incubators at educational institutions, medical colleges and universities would be set up. The policy provides provisions to help Startups in pharma sector to scale up their business models.
5- Private Pharmaceutical Parks- Govt. of Uttar Pradesh will facilitate setting up Pharmaceutical Parks in the state, especially in areas with strong ecosystem support for the sector. Focus districts under this policy for setting up Pharma Parks will include Gautambuddha Nagar, Ghaziabad, Agra. Kanpur, Lucknow, Jhansi, Gorakhpur, Varanasi and Allahabad. These parks will provide 'plug-and-play' industrial infrastructure allowing companies to focus on their core business, and therefore will comprise – • Manufacturing area,	**5- Private Pharmaceutical Parks-** Govt. of Uttar Pradesh will facilitate setting up Pharmaceutical Parks in the state, especially in areas with strong ecosystem support for the sector. Focus districts under this policy for setting up Pharma Parks will include Gautambuddh Nagar, Ghaziabad, Agra, Kanpur, Lucknow, Jhansi, Gorakhpur, Varanasi, Prayagraj, Lalitpur, Pilibhit, and Azamgarh. These parks will provide 'plug-and-play' industrial infrastructure allowing companies to focus on their core business, and therefore will comprise – • Manufacturing area,

• Testing area, • Cold storages and warehousing, • Common facility centres, hostel areas • Other facilities such as standalone power station, sewage treatment plant, etc. The developers of defined Horizontal Pharma Park and Vertical Pharma Park shall be eligible for incentives under State's Industrial Investment and Employment Promotion Policy (UPIIEPP) 2017.	• Testing area, • Cold storages and warehousing, • Common facility centres, hostel areas • Other facilities such as standalone power station, sewage treatment plant, etc. The developers of defined Horizontal Pharma Park and Vertical Pharma Park shall be eligible for incentives under this policy.
5.1- Interest subsidy in the form of reimbursement of interest of 50% of annual interest on the loan taken to buy land for 7 years subject to a maximum subsidy of INR 50 lacs per annum per Pharma park.	5.1- Interest subsidy in the form of reimbursement of interest of 50% of annual interest on the loan taken to buy land for 7 years subject to a maximum subsidy of INR 1 crores per annum per Pharma park.
5.5- New Para	5.5- Capital subsidy to develop common infrastructure and utilities in Private Pharmaceutical Parks will be 15% of the investment value. This subsidy will be provided for development of common infrastructure and utilities, like- cold storage, warehouse, common testing facilities subject to a maximum limit of 25 crores. Capital subsidy will not be provided on the investment of roads, parks, drainage system. The eligible subsidy will be provided in the instalments over the period of 7 years and first instalment will be provided after commencement of actual production.
5.6- New Para	5.6- State will facilitate land acquisition to develop Private Pharmaceutical Parks.
6- Incentives to units- In order to encourage industrial investment in the pharmaceutical sector,	**6- Incentives to units-** In order to encourage industrial investment in the pharmaceutical sector, the State

the State government will provide concessions, subsidies and financial assistance to promote industrial development in pharmaceutical sector. For this purpose following incentives as under State's Industrial Investment and Employment Promotion Policy-2017 will be extended to eligible new pharmaceutical units.	government will provide concessions, subsidies and financial assistance. For this purpose, following incentives will be extended to eligible new pharmaceutical units under this policy-
6.1- Capital interest subsidy to the extent of 5% per annum for 5 years in the form of reimbursement on loan taken for procurement of plant &machinery, subject to maximum subsidy of INR 50 lacs per annum per unit.	6.1- Interest subsidy of 50% of interest amount per annum for 5 years in the form of reimbursement on loan taken for procurement of plant & machinery, subject to maximum subsidy of INR 1 Crores per annum per unit.
6.3 - Industry Research Subsidy - Interest subsidy to the extent of 5% per annum for 5 years in the form of reimbursement on loan taken for industrial research, quality improvement and development of products by incurring expenditure on procurement of plant, machinery & equipment for setting up testing labs and quality certification labs, subject to an overall ceiling of INR 1 Crore.	6.3- Industry Research Subsidy- Interest subsidy of 50% of interest amount per annum for 5 years in the form of reimbursement on loan taken for industrial research, quality improvement and development of products by incurring expenditure on procurement of plant, machinery & equipment for setting up testing labs and quality certification labs, subject to an overall ceiling of Rs. 2 Crore.
6.6- SGST reimbursement– 90% reimbursement for MSME units in Pharma sector for 5 years, 60% reimbursement to eligible Large Pharma Units for 5 years, and 70% reimbursement to Mega Pharma units for 10 years. This would be subject to annual ceiling of 20% of capital investment or actual tax deposited, whichever is lower, subject to maximum ceiling of 100% of fixed capital investment made by the unit.	6.6- Capital Subsidy on the investment of plant and machinery will be provided under this policy. The amount of subsidy will be 15% of the investment value, subject to maximum subsidy of 200 Crores. The eligible subsidy will be provided in the instalments over the period of 7 years, and first instalment will be provided after commencement of actual production.
6.7- Mandi Fee exemption– In consonance to UP IIEPP 2017, all new pharma units will be eligible for 100% mandi fee exemption on purchase of raw material for 5 years.	Omitted

6.8- New Para	6.8- Units established in Private Pharmaceutical Parks will get same benefits of incentives as other individual units.
6.9- New Para	**6.9- Special package for Bulk Drug Parks and Medical Device Parks-** 1. The interest subsidy will be provided for the period of 10 years to the units established in Bulk Drug Parks/ Medical Device Parks. 2. Air Cargo Handling Charges and Freight Incentives: Special incentives for air cargo handling charges and freight charges will be provided at the rate decided by State Government from time to time to transport raw material and finished goods in and out of the country.
8.1- Support R&D institutes – New R&D institutes or facility set up for research & development in biotech and pharma sector, will be provided capital interest subsidy in form of reimbursement 60% of Interest on loan taken to set up such facility, excluding land & building cost, subject to a maximum ceiling of INR 50 Lacs per project.	8.1- Support to R&D institutes– New R&D institutes set up for research & development in biotech, medical devices and pharma sector, will be provided capital interest subsidy in the form of reimbursement 60% of interest on loan taken to set up such facility, excluding land & building cost, subject to a maximum ceiling of INR 2 Crores per project.
8.2- Clinical Trials- 75% reimbursement of the total expenditure incurred subject to maximum INR 1 crore per clinical trial to R&D institutes situated within Uttar Pradesh in a financial year over the policy period.	8.2- Clinical Trials- 75% reimbursement of the total expenditure incurred subject to maximum INR 2 crore per clinical trial to R&D institutes, situated within Uttar Pradesh, in a financial year over the policy period.
8.3- Assistance for contract/ sponsored research work for biotech and pharmaceutical research projects from any industrial unit/industry association to recognized R&D institution/ university/colleges in Uttar Pradesh approved by UGC/ Government/AICTE will be considered subsidy of 50% of the eligible project cost, excluding cost of land and building, subject to a maximum of INR 50 Lacs per project in a financial year to	8.3- Assistance for contract/sponsored research work for biotech and pharmaceutical research projects from any industrial unit/industry association to recognized R&D institution in Uttar Pradesh approved by UGC/Government/ AICTE will be considered subsidy of 50% of the eligible project cost, excluding cost of land and building, subject to a maximum of INR 2 Crore per project in a financial year to Institutes situated within Uttar Pradesh over the policy period.

institutes situated within Uttar Pradesh over the policy period.	
9.1- Patent Filing fees will be reimbursed up to 100% of actual filing costs on awarded patents subject to a maximum of INR 1 lac for domestic patents, and up to 50% of actual filing costs on awarded patents, subject to maximum of INR 5 Lacs for international patents. Units manufacturing AYUSH and Phytomedicine will be eligible for full reimbursement of actual patent filing costs on awarded patents over the policy period.	9.1 Patent Filing fees will be reimbursed up to 100% of actual filing costs on awarded patents subject to a maximum of INR 1.5 lac for domestic patents, and up to 50% of actual filing costs on awarded patents, subject to maximum of INR 5 Lacs for international patents. Units manufacturing AYUSH and Phytomedicine will be eligible for full reimbursement of actual patent filing costs on awarded patents over the policy period.
9.3- New Para	9.3- Certification/Approval for Export - Reimbursement of 50% of application fee incurred for certification/approval of USFDA. WHO Pre-Qualification, EDQM, MHRA or any other International Certificate/approval for export of API/Formulation subject to maximum subsidy of INR 25 lacs per product up to 10 products per unit. This incentive will be given after verification of commercial export of at least INR 100 Crore.
10- Innovations & Start Up- Pharmaceutical Incubators- Government will set up Incubators in Government Pharmacy Colleges, Universities and will also set up Incubators in partnership with private sector.	10- Innovations & Start Up- Pharmaceutical Incubators- Government will set up Incubators in Government Pharmacy Colleges, Institutes/Universities and Government Research Institutes. The State Government will also set up Incubators in partnership with private sector.
12.3- New Para	**12.3- FSDA Nodal Officer-** FSDA will depute nodal officer who will assist investors in the clearance of Pollution NOC, Fire NOC and other NOC/Certificates required to establish pharmaceutical units.
12.4- New Para	**12.4- Pre-Consultation of project plan by FSDA Team-** The investor will submit dossier of project and building plan which will be examined by FSDA team to assess the feasibility of project. Letter of Comfort will be issued to the investor after successful scrutiny of dossier.

	12.5- New Para	12.5- Any Bulk Drug Park/Medical Device Park sanctioned under Central Government Scheme shall be developed by the Industries Development Department. Incentives for units in such parks, which are other than those provided in the present policy, shall be determined by the Industries Development Department after due approval of the cabinet.

(Anita Singh)
Principal Secretary.

उत्तर प्रदेश शासन
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग
संख्या : ..49........./2021/.2138....../88-21-07औ0/18
दिनांक: लखनऊ, 15 नवम्बर, ... 2021

अधिसूचना
प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश फार्मास्युटिकल उद्योग नीति, 2018 (अधिसूचना संख्या-1764/77-6-20-05(एम)/17टीसी-3, दिनांक 13.07.2020 द्वारा यथासंशोधित) के पैरा संख्या-3.2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश फार्मास्युटिकल उद्योग नीति (द्वितीय संशोधन), 2021 को निम्नानुसार प्रख्यापित करती हैं :-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ	(1) उक्त नीति उत्तर प्रदेश फार्मास्युटिकल उद्योग नीति (द्वितीय संशोधन), 2021 कही जायेगी। (२) यह तत्काल प्रवृत्त होगी।
संशोधन	उत्तर प्रदेश फार्मास्युटिकल उद्योग नीति, 2018 (अधिसूचना संख्या 1764/77-6-20-05 (एम)/17 टीसी-3, दिनांक 13.07.2020 द्वारा यथासंशोधित) जिसे आगे उक्त नीति कहा गया है, में नीचे स्तम्भ -1 में दिए गए विद्यमान पैरा के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये पैरा रख दिये जायेंगे, अर्थात : -

स्तम्भ-1 विद्यमान उपबंध	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा यथास्थिति प्रतिस्थापित/ अंतःस्थापित उपबंध
3.1-उद्देश्य • सर्वोत्तम अवस्थापना सुविधाओं एवं तकनीक से युक्त विशिष्ट फार्मास्युटिकल पार्कों की स्थापना को प्रोत्साहित करना। • अत्याधुनिक औषधि अनुसंधान को प्रोत्साहित करने हेतु विश्वस्तरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा राज्य के विकास में योगदान करने के लिये विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को आकर्षित करना।	3.1-उद्देश्य • फॉर्मूलेशन, सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री (एपीआई), मुख्य प्रारंभिक सामग्री (केएसएम), ड्रग इंटरमीडिएट (डीआई) और चिकित्सा युक्तियों के विनिर्माण के लिए अत्याधुनिक फार्मास्युटिकल पार्क की स्थापना को बढ़ावा देना। • अत्याधुनिक फार्मास्युटिकल अनुसंधान को

• फार्मास्युटिकल क्षेत्र में बौद्धिक संपदा (आईपी) को बढ़ावा देने के लिये अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को प्रोत्साहित करना तथा फार्मास्युटिकल क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास हेतु अधिक धनराशि का योगदान देना। • अनुसंधान एवं विकास तथा आयुष स्वास्थ्य सेवा (हेल्थकेयर) उत्पादों के प्रोत्साहन के माध्यम से आयुष स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना।	प्रोत्साहित करना, विश्व स्तरीय अवसंरचनात्मक ढांचे का निर्माण करना एवं राज्य के विकास में योगदान करने के लिए विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करना। • अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं को सुविधा प्रदान करके और फार्मास्युटिकल क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए अपेक्षाकृत अधिक धनराशि का योगदान करके फार्मास्युटिकल क्षेत्र में बौद्धिक संपदा (आईपी) के सृजन को बढ़ावा देना। • आयुष स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों के विनिर्माण और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देकर आयुष स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना।
3.3- परिभाषाएं - 1. एमएसएमई इकाईयां - भारत सरकार के एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनुमोदित पूंजीगत निवेश वाली परियोजनाएं।	3.3- परिभाषाएं - 1. एमएसएमई इकाइयां - समय-समय पर यथा संशोधित भारत सरकार के एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अधीन यथा अनुमोदित पूंजी निवेश वाली परियोजनाएं। क्रमांक-5 के पश्चात निम्नलिखित नई परिभाषाएं बढ़ा दी जाएंगी: 6. अनुसंधान और विकास - इसमें नई औषधि विकसित करने के लिए किए गए कार्य, नए फॉर्मूलेशन, उत्पादन की नई तकनीक, नवीन ड्रग डीलिवरी सिस्टम, फॉर्मूलेशन का विकास, नयी चिकित्सा युक्ति का विकास सम्मिलित है। 7. सक्रिय फार्मास्युटिकल संघटक (एपीआई): किसी औषधि (औषधीय) उत्पाद के विनिर्माण में उपयोग किए जाने हेतु आशयित पदार्थों का कोई भी पदार्थ या मिश्रण और यह कि जब औषधि के उत्पादन में उपयोग किया जाता है, तो औषधि

	उत्पाद का एक सक्रिय घटक बन जाता है। ऐसे पदार्थ रोग के निदान, इलाज, शमन, उपचार या रोकथाम में औषधीय गतिविधि या अन्य प्रत्यक्ष प्रभाव प्रस्तुत करने या शरीर की संरचना या कार्य को प्रभावित करने हेतु आशयित है। 8. ड्रग इंटरमीडिएट (डीआई): एक एपीआई के संश्लेषण में मध्यवर्ती चरणों के दौरान उत्पादित सामग्री, जिसे एपीआई बनने से पहले आगे आणविक परिवर्तन या शुद्धिकरण से गुजरना होगा। 9. मुख्य प्रारंभिक सामग्री (केएसएम): एक कच्चा माल, मध्यवर्ती या एक एपीआई, जिसका उपयोग एपीआई के उत्पादन में किया जाता है और जिसे एपीआई की संरचना में एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक खंड के रूप में सम्मिलित किया जाता है। केएसएम, वाणिज्यिक सामग्री, संविदा या वाणिज्यिक करार के अधीन एक या एक से अधिक आपूर्तिकर्ताओं से क्रय की गई सामग्री या घरेलू उत्पादित सामग्री हो सकता है। केएसएम सामान्यतः परिभाषित रासायनिक गुणों और संरचना के होते हैं। भारत सरकार द्वारा समय-समय पर चिह्नित केएसएम और एपीआई इस नीति के लिए पात्र होंगी। चिह्नित केएसएम और एपीआई की सूचियां क्रमशः संलग्नक 1 और 2 के रूप में संलग्न हैं।
4.1.1- फार्मा पार्क विकास- उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में फार्मा उद्योग की स्थापना तथा विकास के लिये उच्च गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे एवं अनुकूल सुविधायें प्रदान करने का प्रयास करेगी। नीति के अन्तर्गत एलोपैथी, आयुष और होम्योपैथी उत्पादों के निर्माण के लिये और चिकित्सा यंत्रों व उपकरणों के लिये भूमि खण्डों को चिन्हित कर पार्कों को विकसित किया जायेगा।	4.1.1-फार्मा पार्क पर फोकस - उत्तर प्रदेश राज्य उत्तर प्रदेश में फार्मा उद्योग की स्थापना और विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण अवसंरचनात्मक ढांचे और अवलम्बपरक आधार की सुविधा प्रदान करेगी। उक्त नीति एलोपैथिक, आयुष उत्पादों, चिकित्सा युक्तियों और बल्क ड्रग विनिर्माण में प्रयुक्त प्रमुख प्रारंभिक सामग्री/ड्रग इंटरमीडिएट्स के विनिर्माण के लिए भूमि पार्सलों की पहचान करने और पार्क विकसित करने हेतु आशयित है।

ये पार्क उपयोग के लिये तैयार बुनियादी सुविधाएं जैसे- सार्वजनिक/सहाधिकार (Common) परीक्षण प्रयोगशालाएं नैदानिक केन्द्रों, विद्युत उपकेन्द्र, शीत भंडारण सार्वजनिक सुविधा केन्द्रों, उत्प्रवाह अपशिष्ट उपचार संयंत्र, वाक टू वर्क की अवधारणा पर विकसित की गयी अन्य बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित किये जायेंगे। राज्य सरकार डेवलेपर्स को गुणवत्ता परीक्षण सुविधाएं यथा एपीआई फार्मूलेशन प्रयोगशाला बनाने के लिये प्रोत्साहित करेगी जो कि गुणवत्ता परीक्षण के लिये आवश्यक है और भारत की गुणवत्ता परिषद के मानदंडों को प्रोत्साहित करेगा। राज्य में (क्वालिटी कौंसिल ऑफ इण्डिया) द्वारा विधिवत प्रमाणित प्रयोगशालाओं को बढ़ावा दिया जायेगा।	ये पार्क रेडी-टू-यूज़ अवसंरचनात्मक सुविधाओं यथा- कॉमन टेस्टिंग लेबोरेटरी, डायग्नोस्टिक सेंटर, पावर स्टेशन, कोल्ड स्टोरेज, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और 'वॉक टू वर्क' अवधारणा पर निर्मित अन्य आधारभूत सुविधाओं से सज्जित होंगे। राज्य विकासकर्ताओं को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट और समय-समय पर तद्धीन बनायी गयी नियमावली या किसी अन्य सुसंगत विधि के अधीन यथा विनिर्दिष्ट मानकों के आधार पर एपीआई/फॉर्मूलेशन लैब की आवश्यकता को पूरा करने वाली गुणवत्तापरक परीक्षण सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करेगी। उक्त नीति राज्य में सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित/अनुमोदित प्रयोगशालाओं की स्थापना को बढ़ावा देती है।
4.1.3(ए)- एपीआई/फार्मूलेशन प्रयोगशाला- एपीआई एवं फार्मूलेशन का गुणवत्ता आश्वासन फार्मास्युटिकल उद्योग के मेरुदण्ड है। ऐसी प्रयोगशालाएं लाजिस्टिक्स एवं आधारभूत सुविधा के संदर्भ में चुनौतियों का समाधान करती हैं। सरकार क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया तथा अन्य हितधारकों के परामर्श से कॉमन टेस्टिंग लेबोरेटरीज की स्थापना को प्रोत्साहित करेगी। इस प्रकार की सुविधा से अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा मिलेगा।	4.1.3(ए)- एपीआई / फॉर्मूलेशन प्रयोगशाला - एपीआई एवं फार्मूलेशन का गुणवत्तापरक भरोसा, फार्मास्युटिकल उद्योग का मेरुदण्ड है। ऐसी प्रयोगशाला से ऐसी चुनौतियों, यथा एक्सेसिबल लाजिस्टिक्स एवं अवसंरचनात्मक विनिधान का समाधान होगा। सरकार, प्रमुख सरकारी अनुसंधान संस्थानों और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं के परामर्श से कॉमन परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी।
4.3.1- फार्मास्युटिकल सेक्टर की प्रगति अनुसंधान एवं विकास पर निर्भर करती है। उदयीमान वैश्विक रूझानों के अनुसार प्रगति करने के लिये फार्मा सेक्टर के निरंतर विकास हेतु नवाचार होना चाहिये। इस क्षेत्र में विश्व के अनेक प्रतिष्ठित अनुसंधान केन्द्र तथा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थाएं उत्तर प्रदेश में हैं, जो इस क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करते हैं तथा जैव प्रौद्योगिकी व फार्मा क्षेत्र में	4.3.1- फार्मास्युटिकल क्षेत्र की शक्ति काफी हद तक समय के साथ क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास की प्रगति पर निर्भर करती है। उदीयमान वैश्विक रूझानों को पूरा करने के लिए फार्मा क्षेत्र के सतत विकास के लिए नवपरिवर्तन आवश्यक है। उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र में विश्व के प्रतिष्ठित अनुसंधान केंद्रों और विद्यमान शिक्षा और अनुसंधानपरक आधार का केन्द्र भी है, जो अपार ज्ञान प्रदान करता है और जैव-तकनीकि तथा फार्मा क्षेत्र में

नवाचार की क्षमता रखते हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि अनुसंधान एवं विकास तथा जैव प्रौद्योगिकी व फार्मा सेक्टर में लागत क्षमता बढ़ाने के लिये उत्तर प्रदेश के विद्यमान शिक्षा संस्थानों और फार्मा कंपनियों के माध्यम से अनुसंधान के प्रस्तावों के लिये वित्तीय सहायता प्रदान की जाये। नीति का उद्देश्य इस संदर्भ में एक मजबूत उद्योग अंतरफलक (Interface) का सृजन करना है। अनुसंधान परियोजनाओं उद्योग और संस्थानों के साथ मिलकर किये गये नैदानिक परीक्षण परियोजनाओं को संरक्षण प्रदान किया जायेगा। साथ ही यह नीति पेटेंट प्राप्त करने और बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करने में भी सहायता करेगी।	नवपरिवर्तनों की क्षमता रखता है। राज्य का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में विद्यमान शिक्षा/अनुसंधान संस्थानों और फार्मा कंपनियों के माध्यम से चिकित्सा युक्ति और एपीआई के प्रमुख प्रारंभिक सामग्री/ड्रग इंटरमीडिएट्स सहित बायो-टेक और फार्मा क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास तथा नवपरिवर्तन के लिए लागत दक्षता हेतु अनुसंधान प्रस्तावों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। उद्योग, सीएसआईआर अनुसंधान संस्थानों और उत्तर प्रदेश के प्रमुख औषधि अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से, राज्य, अनुसंधान परियोजनाओं को प्रायोजित करेगा। राज्य, अनुसंधान परियोजनाओं के लिए निधि सृजित करेगा और सीएसआईआर अनुसंधान प्रयोगशालाएं अनुसंधान परियोजनाओं के लिए राज्य की ज्ञान की भागीदार होंगी। इस सन्दर्भ में इस नीति का उद्देश्य एक मजबूत उद्योग फलक का निर्माण करना है। उद्योग और संस्थानों के सहयोग से प्रारम्भ की गई अनुसंधान परियोजनाओं, नैदानिक परीक्षण परियोजनाओं को संरक्षण दिया जाएगा। साथ ही, नीति पेटेंट प्राप्त करने और बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करने में सहायता करेगी।
4.4- नवाचार एवं स्टार्ट-अप को प्रोत्साहन- राज्य सरकार नवाचारों को फार्मास्युटिकल सेक्टर में नए उद्यमों के माध्यम से प्रोत्साहित करेगी। फार्मास्युटिकल सेक्टर में स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की स्टार्टअप पॉलिसी, 2017 के अन्तर्गत स्थापित स्टार्ट-अप फंड का उपयोग किया जायेगा। शैक्षिक संस्थानों मेडिकल कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में इन्क्यूबेटर्स की स्थापना की जाएगी। इस नीति के अन्तर्गत फार्मा सेक्टर में अपने व्यवसाय मॉडल को बढ़ाने के लिए सहायता हेतु प्राविधान किया गया है।	4.4- नवपरिवर्तनों और स्टार्ट-अप को प्रोत्साहन- राज्य, फार्मास्युटिकल क्षेत्र में नए उपक्रमों के माध्यम से नवपरिवर्तनों को प्रोत्साहित करेगा। फार्मास्युटिकल क्षेत्र में स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य, समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति, 2020 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश स्टार्ट-अप फंड का उपयोग मुख्य प्रारंभिक सामग्री और ड्रग इंटरमीडिएट्स सहित बल्क ड्रग/एपीआई और चिकित्सा युक्तियों के विनिर्माण को बढ़ाने के लिए करेगी । सीएसआईआर अनुसंधान संस्थानों की सहायता से स्टार्ट-अप इकाइयों का चयन किया जाएगा। शिक्षण संस्थानों, मेडिकल कॉलेजों और

	विश्वविद्यालयों में इनक्यूबेटर स्थापित किए जाएंगे। उक्त नीति में फार्मा क्षेत्र में स्टार्टअप्स को उनके व्यवसाय मॉडल को बढ़ाने में सहायता करने का उपबंध निहित है।
5- निजी फार्मास्युटिकल पार्क - उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में पारिस्थितिक तंत्र वाले क्षेत्रों में फार्मास्युटिकल पार्क स्थापित करने हेतु प्रयत्नशील रहेगी। फार्मा पार्क की स्थापना के लिए इस नीति के अन्तर्गत गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, आगरा, कानपुर, लखनऊ, झाँसी, गोरखपुर, वाराणसी एवं इलाहाबाद जनपदों को विशेष रूप चिन्हित किया जायेगा। इन पार्कों में प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक बुनियादी ढांचा प्रदान करने की सुविधा होगी जिससे कंपनियां अपने मुख्य व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगी अतः इन पार्कों में निम्नलिखित क्षेत्र सम्मिलित होंगे:- • विनिर्माण क्षेत्र • परीक्षण क्षेत्र • शीत गृह एवं भंडारण (वेयर हाउसिंग) • सार्वजनिक सुविधा केन्द्र, छात्रावास हेतु क्षेत्र • अन्य सुविधाएं, जैसे-स्टैंडअलोन, विद्युत उप केन्द्र, सीवेज उपचार संयत्र इत्यादि परिभाषित क्षैतिज फार्मा पार्क एवं वर्टिकल फार्मा पार्क के विकासकर्ता राज्य की औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2017 के अन्तर्गत प्राविधानित प्रोत्साहनों के लिए पात्र होंगे-	5- निजी फार्मास्युटिकल पार्क- उत्तर प्रदेश सरकार, राज्य में विशेष रूप से मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र पर अवलम्बित क्षेत्रों में, फार्मास्युटिकल पार्क स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी। इस नीति के अधीन फार्मा पार्क स्थापित करने के लिए केन्द्रित जिलों में गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, आगरा, कानपुर, लखनऊ, झांसी, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, ललितपुर, पीलीभीत और आजमगढ़ सम्मिलित होंगे। ये पार्क 'प्लग-एंड-प्ले' औद्योगिक अवसंरचनात्मक ढांचा प्रदान करेंगे, जिससे कंपनियां अपने मुख्य व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगी, और इसलिए इसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:- • विनिर्माण क्षेत्र, • परीक्षण क्षेत्र, • कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग, • सामान्य सुविधा केंद्र, छात्रावास क्षेत्र • अन्य सुविधाएं यथा स्टैंडअलोन पावर स्टेशन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आदि। परिभाषित क्षैतिज फार्मा पार्क और उर्ध्व फार्मा पार्क के विकासकर्ता, इस नीति के अधीन प्रोत्साहन के पात्र होंगे-
5.1- जमीन खरीदने के लिये लिये गये ऋण पर वार्षिक ब्याज का 50 प्रतिशत तक ब्याज की प्रतिपूर्ति के रूप में अधिकतम रु0 50 लाख प्रति वर्ष प्रति फार्मा पार्क की सीमा के अधीन 7 साल के लिये ब्याज सब्सिडी।	5.1- प्रति फार्मा पार्क प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपये की अधिकतम सब्सिडी के अधीन 7 वर्षों के लिए भूमि क्रय करने के लिए, लिए गए ऋण पर वार्षिक ब्याज के 50% ब्याज की प्रतिपूर्ति के रूप में ब्याज सब्सिडी।

5.5- नया पैरा	5.5- निजी फार्मास्युटिकल पार्कों में सामान्य अवसंरचनात्मक ढांचा और उपयोगिताओं को विकसित करने के लिए पूंजीगत सब्सिडी निवेश मूल्य का 15% होगी। यह सब्सिडी सामान्य अवसंरचनात्मक ढांचा और उपयोगिताओं, यथा-कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, सामान्य परीक्षण सुविधाओं के विकास के लिए प्रदान की जाएगी, जो अधिकतम 25 करोड़ की सीमा के अध्यधीन है। सड़क, पार्क, ड्रेनेज सिस्टम के निवेश पर कैपिटल सब्सिडी नहीं दी जाएगी। पात्र सब्सिडी 7 वर्ष की अवधि में किस्तों में प्रदान की जाएगी और प्रथम किस्त वास्तविक उत्पादन प्रारम्भ होने के पश्चात प्रदान की जाएगी।
5.6- नया पैरा	5.6- राज्य, निजी फार्मास्युटिकल पार्क विकसित करने के लिए भूमि अर्जन की सुविधा प्रदान करेगा।
6. फार्मास्युटिकल इकाईयों को प्रोत्साहन- फार्मास्युटिकल सेक्टर में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये राज्य सरकार रियायतें, सब्सिडी और वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसके लिये राज्य के औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के तहत पात्र नए फार्मास्युटिकल इकाइयों को निम्नवत प्रोत्साहित किया जाएगा-	6. इकाइयों को प्रोत्साहन - फार्मास्युटिकल क्षेत्र में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार रियायतें, सब्सिडी और वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस प्रयोजन के लिए, इस नीति के अधीन पात्र नई फार्मास्युटिकल इकाइयों को निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए जाएंगे –
6.1- पूंजीगत ब्याज सब्सिडी- संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिये ऋण पर प्रतिपूर्ति के रूप में 5 वर्ष के लिये प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की दर से पूंजीगत ब्याज सब्सिडी, अधिकतम रू0 50 लाख प्रति यूनिट प्रतिवर्ष।	6.1- प्रति इकाई अधिकतम 1 करोड़ रूपये/प्रति वर्ष सब्सिडी के अध्यधीन, संयंत्र और मशीनरी की खरीद हेतु लिए गए ऋण पर प्रतिपूर्ति के रूप में 5 वर्षों के लिए प्रति वर्ष ब्याज राशि का 50% ब्याज सब्सिडी, प्रति यूनिट प्रति वर्ष।
6.3- औद्योगिक अनुसंधान सब्सिडी- औद्योगिक अनुसंधान हेतु 5 वर्ष के लिये प्रति वर्ष 5 प्रतिशत की दर से औद्योगिक अनुसंधान सब्सिडी-	6.3- उद्योग अनुसंधान सब्सिडी- औद्योगिक अनुसंधान, गुणवत्तापरक सुधार और उत्पादों के विकास हेतु परीक्षण प्रयोगशालाओं और गुणवत्ता

औद्योगिक अनुसंधान, गुणवत्ता सुधार और उत्पादों के विकास के लिए परीक्षण प्रयोगशालाओं तथा गुणवत्ता प्रमाणन प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु मशीनरी एवं उपकरणों हेतु लिये गये ऋण की ब्याज पर 5 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 5 प्रतिशत की दर से प्रतिपूर्ति, अधिकतम रू0 1 करोड़।	प्रमाणन प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु संयंत्र, मशीनरी तथा उपकरणों की खरीद पर आवर्ती व्यय द्वारा लिये गये ऋण पर प्रतिपूर्ति के रूप में 2 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा के अध्यधीन 5 वर्षों के लिए प्रति वर्ष ब्याज राशि का 50% ब्याज सब्सिडी।
6.6- एसजीएसटी प्रतिपूर्ति- फार्मा सेक्टर में एमएसएमई यूनिट को 05 वर्ष के लिए 90 प्रतिशत, बड़ी इकाईयों को 05 वर्ष के लिये 60 प्रतिशत तथा मेगा इकाईयों को 10 वर्ष के लिए 70 प्रतिशत एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की वार्षिक सीमा पूँजी निवेश का 20 प्रतिशत अथवा वास्तविक जमा कर, जो भी कम हो, होगा। अधिकतम सीमा अचल पूँजी निवेश के 100 प्रतिशत के अधीन।	6.6- इस नीति के अधीन संयंत्र और मशीनरी के निवेश पर पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जायेगी। सब्सिडी की राशि निवेश मूल्य का 15% होगी, जो अधिकतम 200 करोड़ रुपये की सब्सिडी के अधीन होगी। पात्र सब्सिडी 7 वर्ष की अवधि में किश्तों में प्रदान की जायेगी और प्रथम किश्त वास्तविक उत्पादन प्रारम्भ होने के पश्चात प्रदान की जायेगी।
6.7 मण्डी शुल्क में छूट- उत्तर प्रदेश आईआईईपीपी, 2017 के समान सभी नयी फार्मा इकाईयों को कच्चे माल की खरीद पर 05 वर्ष के लिए मण्डी शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट।	6.7 निकाल दिया गया।
6.8- नया पैरा	6.8- निजी फार्मास्युटिकल पार्कों में स्थापित इकाइयों को अन्य व्यक्तिगत इकाइयों के समान प्रोत्साहन की प्रसुविधाएं प्राप्त होंगी।
6.9- नया पैरा	6.9- बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए विशेष पैकेज- 1. बल्क ड्रग पार्कों/चिकित्सा युक्ति पार्कों में स्थापित इकाइयों को 10 वर्ष की अवधि के लिए ब्याज अनुदान प्रदान किया जायेगा। 2. एयर कार्गो हैंडलिंग चार्ज और फ्रेट इंसेंटिव: कच्चे माल और तैयार माल को देश के अन्दर तथा बाहर परिवहन के लिए, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर तय की गई दर पर एयर कार्गो हैंडलिंग चार्ज और फ्रेट चार्ज के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा।

8.1- अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को प्रोत्साहन- निर्धारित क्षेत्रों के लिये बायोटेक और फार्मा सेक्टर की नई आर एंड डी संस्थानों की स्थापना लिये, भूमि और भवन लागत को छोड़कर, ली गयी ऋण के ब्याज पर 60 प्रतिशत तक पूंजीगत ब्याज सब्सिडी की प्रतिपूर्ति की जायेगी। इसके अंतर्गत प्रत्येक परियोजना के अधिकतम 50 लाख रूपये की सीमा के अधीन।	8.1- अनुसंधान एवं विकास संस्थान को सहायता- बायोटेक, चिकित्सा युक्तियों और फार्मा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए स्थापित नए अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को भूमि एवं भवन लागत को छोड़कर, ऐसी सुविधा स्थापित करने हेतु लिए गए ऋण पर 60% ब्याज की प्रतिपूर्ति के रूप में, प्रति परियोजना अधिकतम 2 करोड़ रूपये की सीमा तक पूंजीगत ब्याज सब्सिडी प्रदान की जायेगी।
8.2- नैदानिकी परीक्षण- प्रदेश में स्थित अनुसंधान एवं विकास संस्थान द्वारा प्रति नैदानिक परीक्षण पर किये गये कुल खर्च का 75 प्रतिशत, अधिकतम रू0 1 करोड़ की प्रतिपूर्ति।	8.2- नैदानिक परीक्षण- नीति अवधि के दौरान एक वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश के भीतर स्थित अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को प्रति नैदानिक परीक्षण पर किये गये कुल व्यय का 75%, अधिकतम रूपये 2 करोड़ तक की प्रतिपूर्ति।
8.3- संविदीय/प्रायोजित अनुसंधान कार्य हेतु सहायता- किसी फार्मा औद्योगिक इकाई द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थित यूजीसी/सरकारी/एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्व विद्यालय/कालेज को बायोटेक्नोलॉजी एवं फार्मास्युटिकल अनुसंधान परियोजना प्रदान करने पर परियोजना की लागत का 50 प्रतिशत, भूमि एवं भवन लागत को छोड़कर, सब्सिडी दी जायेगी; पॉलिसी की अवधि के दौरान एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम रूपये 50 लाख प्रति परियोजना।	8.3- नीति अवधि के दौरान एक वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश के भीतर स्थित यूजीसी/सरकार/एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित मान्यता प्राप्त अनुसंधान एवं विकास संस्थान को किसी औद्योगिक इकाई/उद्योग संघ द्वारा अनुबंधित/प्रायोजित बायोटेक और फार्मास्युटिकल अनुसंधान परियोजनाओं के अनुसंधान कार्य के लिए मात्र परियोजना लागत का 50%, भूमि एवं भवन लागत को छोड़कर, अधिकतम रूपये 2 करोड़ की सब्सिडी पर विचार किया जायेगा।
9.1- पेटेंट फाइलिंग शुल्क- पेटेन्ट प्राप्त प्रकरणों में घरेलू पेटेन्ट के लिए पेटेन्ट फाइलिंग वास्तविक व्यय का 100 प्रतिशत; अधिकतम रू0 1 लाख तथा अन्तर्राष्ट्रीय पेटेन्ट के लिए वास्तविक व्यय का 50 प्रतिशत; अधिकतम रू0 5 लाख की प्रतिपूर्ति की जायेगी। आयुष एवं फाइटोमेडिसिन निर्माण करने वाली इकाईयों को पेटेंट फाइलिंग व्यय का शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जायेगी।	9.1- पेटेण्ट फाइलिंग फीस, घरेलू पेटेण्ट के लिए अधिकतम ब्याज 1.5 लाख रूपये के अध्यधीन प्रदत्त पेटेण्ट पर वास्तविक फाइलिंग लागत का 100 प्रतिशत तक तथा अन्तर्राष्ट्रीय पेटेण्ट के लिए अधिकतम ब्याज 5 लाख रूपये के अध्यधीन प्रदत्त पेटेण्ट पर वास्तविक फाइलिंग लागत का 50 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति की जायेगी। आयुष और फाइटोमेडिसिन की विनिर्माणकर्ता इकाईयां पॉलिसी अवधि में प्रदत्त पेटेंट पर वास्तविक पेटेंट फाइलिंग लागत की पूर्ण प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगी।

9.3- नया पैरा	9.3- निर्यात के लिए प्रमाणन/अनुमोदन– एपीआई/फार्मूलेशन के निर्यात के लिए यूएसएफडीए, डब्ल्यूएचओ प्री-क्वालिफिकेशन, ईडीक्यूएम, एमएचआरए या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणपत्र/अनुमोदन/अनुमोदन के लिए उपगत आवेदन फीस का 50%, प्रति इकाई 10 उत्पाद तक प्रति उत्पाद 25 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति। यह प्रोत्साहन कम से कम 100 करोड़ रुपये के वाणिज्यिक निर्यात के सत्यापन के पश्चात दिया जायेगा।
10- नवाचार और स्टार्ट अप- फार्मास्यूटिकल इनक्यूबेटर्स- सरकार द्वारा सरकारी फार्मेसी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में इन्क्यूबेटर स्थापित किया जायेगा और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में भी इनक्यूबेटर स्थापित करेगी। ये इन्क्यूबेटर्स उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी और प्रारंभ-नीति 2017 के अनुसार निम्नलिखित प्रोत्साहनों के लिए पात्र होंगे।	10- नवपरिवर्तन और स्टार्ट अप- फार्मास्युटिकल इन्क्यूबेटर्स- सरकार, सरकारी फार्मेसी कॉलेजों, संस्थानों/विश्वविद्यालयों और सरकारी अनुसंधान संस्थानों में इनक्यूबेटर स्थापित करेगी। राज्य सरकार निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में इनक्यूबेटर भी स्थापित करेगी।
12.3- नया पैरा	12.3- एफएसडीए नोडल अधिकारी - एफएसडीए नोडल अधिकारी प्रतिनियुक्त करेगा, जो फार्मास्युटिकल इकाइयों की स्थापना के लिए आवश्यक प्रदूषण अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र और अन्य अनापत्ति प्रमाण-पत्र/प्रमाणपत्रों की मंजूरी में निवेशकों की सहायता करेगा।
12.4- नया पैरा	12.4- एफएसडीए टीम द्वारा परियोजना का पूर्व-परामर्श- निवेशक, परियोजना और भवन योजना का डोजियर प्रस्तुत करेगा, जिसका परीक्षण, परियोजना की संभाव्यता का आकलन करने के लिए एफएसडीए टीम द्वारा की जाएगी। डोजियर की सफलतापूर्वक संवीक्षा करने के पश्चात् निवेशक को लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किया जायेगा।

12.5- नया पैरा	12.5- केंद्र सरकार की योजना के अधीन स्वीकृत कोई बल्क ड्रग पार्क/मेडिकल डिवाइस पार्क, औद्योगिक विकास विभाग द्वारा विकसित किया जायेगा। ऐसे पार्कों में इकाइयों के लिए प्रोत्साहन, जो वर्तमान नीति में प्रदान किए गए प्रोत्साहन के अतिरिक्त हैं, का अवधारण औद्योगिक विकास विभाग द्वारा मा0 मंत्रि-परिषद के सम्यक् अनुमोदन के पश्चात किया जायेगा।

(अनीता सिंह)
प्रमुख सचिव।